

सत्यमेव जयते

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं  
हक . )  
राजस्थान, जयपुर



कोषालयों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन  
2018-19

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं  
हक . )

राजस्थान, जयपुर

राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों के कार्यों की  
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन  
2018-19

## विवरण सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
(i) प्रस्तावना	I
(ii) समग्र दृष्टि	II
(iii) भाग प्रथम - परिचय	1
(iv) भाग द्वितीय- कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखों के संकलन और जाँच के दौरान पाई गई त्रुटियाँ एवं अन्य कमियाँ	2
(v) भाग तृतीय - कोषालयों एवं उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियाँ और कमियाँ	5

## प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में दिये गये प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के लेखों का संकलन सम्बन्धी कार्य किए जाने का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक का है, उनकी ओर से राजस्थान के लेखों के संकलन कार्य के लिए महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर उत्तरदायी है। राज्य के समस्त कोषालय अपने मासिक लेखे, समस्त लेन देनों के आवश्यक चालानों व वाऊचरों सहित महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करते हैं। इसके अतिरिक्त, महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर द्वारा समस्त कोषालयों का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता रहा है। कोषालय शासकीय लेखा प्रणाली के मुख्य अंग है तथा वे शासकीय राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान करने के साथ ही शासकीय खर्चों पर नियंत्रण रखने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। कोषालयों / उप कोषालयों की कार्य प्रणाली पर प्रतिवर्ष इस कार्यालय द्वारा कोषालयों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

वर्ष 2018-19 के इस वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन में राजस्थान में कार्यरत कोषालयों की उन महत्वपूर्ण कमियों का सारांशीकरण किया गया है जो इस कार्यालय में लेखों के संकलन के दौरान व स्थानीय निरीक्षणों के दौरान जानकारी में आयी थीं। कोषालयों के निरीक्षण के दौरान जो कमियाँ परिलक्षित हुई थीं, उन्हें सम्बंधित जिला कलेक्टरों, कोषाधिकारियों, निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के ध्यान में ला दिया गया है। विगत वर्षों के दौरान पाई गई मुख्य अनियमितताओं/त्रुटियों का तुलनात्मक विवरण विभिन्न चार्टों में दर्शाया गया है।

कोषालयों की दक्षतापूर्ण कार्य प्रणाली राज्य के उपयुक्त वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। इस प्रकाशन का उद्देश्य कोषालयों की कार्य प्रणाली में सुधार और इसके परिणामस्वरूप राज्य के वित्तीय प्रशासन की सहायता करना है। मैं सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को जिन्होंने इस प्रक्रिया में योगदान दिया है, धन्यवाद देता हूँ।

दिनांक: 10/7/19.....

S/W/1469

(डी.पी.यादव)

महालेखाकार (लेखा एवं हक.)  
राजस्थान, जयपुर

## समग्र - दृष्टि

आक्षेप संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
3.3	निरीक्षण प्रभाव एवं उपलब्धियां ₹ 3.51 लाख	6
3.4.1	उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि से कटौती / वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान राशि ₹ 10.71 लाख	7
3.4.2	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सिविल/सिविल पारिवारिक पेंशनरों को किये गये अधिक भुगतान की सम्बन्धित बैंकों से एक मुश्त वसूली नही करना राशि ₹ 1.41 लाख	8
3.4.5	पेंशन की रूपांतरित राशि की नियत तिथि के बाद घटी हुई दर के स्थान पर पूर्ण पेंशन दिये जाने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 0.64 लाख एवं कम भुगतान ₹ 0.75 लाख	9
3.4.6	सिविल पेंशन एरियर राशि में से स्त्रोत पर आयकर की कटौती नहीं करना राशि ₹ 3.56 लाख	9
3.4.7	पेंशन चैक रजिस्टर में कम/अधिक भुगतान के मिस मैच प्रकट होना	10
3.5.1	सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की मृत्यु / पुनर्विवाह के पश्चात भुगतान की गई राशियों को संबंधित बैंक खातों से प्राप्त कर राजकोष में जमा कराने का अभाव राशि ₹ 44.11 लाख	11
3.5.2	सामाजिक सुरक्षा पेंशन के एक से अधिक लाभार्थियों की पेंशन का एक ही बैंक खाते में अनियमित भुगतान राशि ₹ 4.53 लाख	11
3.5.3	पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा अपात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृतियां जारी किये जाने के कारण अनियमित भुगतान राशि ₹ 41.29 लाख	12
3.5.4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दोहरा भुगतान राशि ₹ 9.61 लाख	12
3.6	आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रस्तुत करने का अभाव राशि ₹ 107.32 करोड़	14
3.7.1	निजी निक्षेप खाताधारकों से अवशेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करना	15
3.7.3	निजी निक्षेप खातों के लिए महालेखाकार कार्यालय में संधारित वृहद पुस्तिका एवं कोषालयों द्वारा प्रेषित प्लस-माइनस मीमो के अन्तिम शेषों के मध्य उत्पन्न धनात्मक अंतर ₹ 1.38 करोड़ व ऋणात्मक अंतर ₹ 2.60 करोड़ एवं शुद्ध ऋणात्मक	15

	अंतर ₹ 1.22 करोड़	
3.7.4	कोषालय द्वारा संधारित निजी निक्षेप खातों के शेष एवं निजी निक्षेप खाता धारकों की पासबुक के शेषों के मध्य प्रकट हो रहे धनात्मक अंतर ₹ 5.66 करोड़ व ऋणात्मक अंतर ₹ 1.39 करोड़ एवं शुद्ध ऋणात्मक अंतर ₹ 4.27 करोड़	16
3.8.1	सुरक्षित कक्ष में रखी गई तिजोरियों का किराया वसूली का अभाव राशि ₹ 0.12 लाख	16
3.9.1	मुद्रांक विक्रेताओं से आधारभूत अवसंरचना अधिभार शुल्क एवं गौ-संवर्धन अधिभार शुल्क की वसूली का अभाव राशि ₹ 2.40 लाख	17
3.9.3	अनुपयोगी कम प्राप्त / कटे-फटे एवं अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांकों के निस्तारण का अभाव राशि ₹ 45.99 लाख	18
3.10.1	भवन निर्माण ऋण के लिए खोले गये निजी निक्षेप खाता सं. 473 में जमा राशि का निस्तारण / समायोजन नहीं करना राशि ₹ 36.90 करोड़	19
3.11.1	मुख्य लेखा शीर्ष 8448-120 के अन्तर्गत बकाया राशियों के निस्तारण का अभाव ₹ 0.88 लाख	20
3.11.2	व्यपगत शेषों की सूची प्रस्तुत करने का अभाव ₹ 2.29 लाख	20
3.11.6	रोकड़िये से प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त करने का अभाव	21
3.11.7	कैशबुक संधारण का अभाव	21

# कोषालयों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन 2018-19

## भाग-1

### 1. परिचय


1.1 राज्य के समस्त कोषालय, निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्यरत हैं। समीक्षा वर्ष 2018-19 के दौरान 41 कोषालय एवं 241 उप कोषालय, राजस्थान सरकार के सभी कार्यालयों के प्राप्ति एवं भुगतान सम्बन्धी लेन-देन हेतु खुले हुये थे, जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या 1 में दर्शाया गया है। राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर कार्यरत कोषालयों के अलावा 7 अतिरिक्त कोषालय कार्यरत हैं जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या 2 में दर्शाया गया है। इनमें से 41 कोषालयों एवं 121 उप कोषालयों तथा निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय का वर्ष 2018-19 में निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उप कोषालयों का विवरण परिशिष्ट संख्या 3 में दर्शाया गया है।

### 1.2 कोषालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की कम्प्यूटर में प्रशिक्षण की स्थिति

राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों व उप कोषालयों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के कम्प्यूटर में प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित सम्बन्धी सूचना को परिशिष्ट संख्या 4 में दर्शाया गया है।

(चार्ट संख्या 1)

कोषालयों व उप कोषालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की कम्प्यूटर में प्रशिक्षण की स्थिति एक नजर में



## भाग- 2

### 2. कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखों के संकलन और जाँच के दौरान पाई गई त्रुटियाँ एवं अन्य कमियाँ

#### 2.1 कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखों की जाँच के दौरान पाई गई त्रुटियाँ

##### 2.1.1 मासिक लेखों का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण


खजानों के लिए लेखा नियमावली 1992 के नियम 97 में वर्णित प्रावधानानुसार खजानों द्वारा मासिक लेखे कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रस्तुत किये जाने चाहिये । इस कार्यालय के केन्द्रीय खजाना अनुभाग (सी.टी.एस.) मेन्युअल के अनुसार राज्य के खजानों द्वारा मासिक लेखे माह में दो बार प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है । माह की 1 से 10 तारीख तक की प्रथम अनुसूची एवं माह की 11 से अंतिम कार्य दिवस तक की द्वितीय अनुसूची क्रमशः उसी माह की 13 से 17 तारीख तक एवं आगामी माह की 5 से 8 तारीख तक प्रेषित करनी होती है । मासिक लेखों के विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण लेखा-संकलन कार्य में विलम्ब की संभावना रहती है ।

इस कार्यालय में वर्ष 2018-19 में कोषालयों से प्राप्त मासिक लेखों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि मासिक लेखों की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची 08 कोषालयों द्वारा 16 प्रकरणों में 1 से 12 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत की गयी, जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या 5 में दर्शाया गया है ।

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि समस्त कोषाधिकारियों को मासिक लेखों की दोनों सूचियों को इस कार्यालय में निर्धारित समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये जावें ।

(चार्ट संख्या -2)

कोषालयों द्वारा मासिक लेखों को विलम्ब से प्रस्तुत करने का विगत पाँच वर्षों का तुलनात्मक विवरण





## 2.1.2 कोषालयों से अप्राप्त वाउचर्स जिसमें राशि ₹ 50.00 लाख व उससे अधिक राशि के वाउचर्स की जाँच

इस कार्यालय की अप्राप्त वाउचर्स की सूची में वर्ष 2018-19 में कोई भी वाउचर राशि ₹ 50.00 लाख व उससे अधिक राशि के अप्राप्त वाउचर की श्रेणी में लम्बित नहीं थे।

## 2.1.3 मासिक लेखों में अशुद्धियां

वर्ष 2018-19 के दौरान कोषालयों द्वारा किये गये गलत वर्गीकरण को सही शीर्ष में वर्गीकृत करने हेतु कुल 424 हिसाब शोधन पत्र (टी.वाई.65) प्राप्त हुए, जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या 6 में दर्शाया गया है। प्राप्त सभी हिसाब शोधन पत्रों के आधार पर लेखों में वांछित संशोधन कर दिया गया था।

### 2.1.4.1 लेखा शीर्ष "लोक निर्माण प्रेषण" की वृहद पुस्तिकाओं के शेषों में अन्तर होना

माह 3/2019 तक के लेखे संवरण होने तक लेखा शीर्ष "लोक निर्माण प्रेषण" (8782-102-02 चैक) की वृहद पुस्तिका में राजसमंद कोषालय के शेषों में अंतर था, जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है :-

#### लेखा शीर्ष "लोक निर्माण प्रेषण" में माह 03/2019 तक शेष रहे अन्तर का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	खण्ड का नाम	राशि ₹	चैक / चालान	माह
1	राजसमंद	सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, भीम (पी-200) माह 03/16	81470.00	चैक-8782-102-02	03/19

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि कोषाधिकारी राजसमंद को अन्तर के शीघ्र निराकरण के लिए निर्देश जारी किये जावें।

### 2.1.4.2 लेखा शीर्ष 8782-102 "लोक निर्माण प्रेषण" के बकाया चैक्स एवं चालानों के समायोजन का अभाव

लेखाशीर्ष 8782-102 "लोक निर्माण प्रेषण" के अन्तर्गत विभिन्न खण्डीय कार्यालयों के लेखों में सम्मिलित किये गये लेखा शीर्ष 8782-102-01 से संबंधित धनात्मक राशि ₹ 173.96 करोड़ व ऋणात्मक राशि ₹ 26.86 करोड़ के चैक्स तथा लेखा शीर्ष 8782-102-02 से संबंधित धनात्मक राशि ₹ 86.99 करोड़ व ऋणात्मक राशि ₹ 12.42 करोड़ के चालान माह 3/2019 तक के लेखे संवरण होने तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए जिनका कोषालय वार विवरण परिशिष्ट संख्या -7 में दर्शाया गया है।

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि संबंधित कोषाधिकारियों को बकाया चैक्स व चालानों का समायोजन यथाशीघ्र कराने हेतु निर्देश जारी किये जावें।

2.1.5 लेखा शीर्ष "8675- रिजर्व बैंक जमा" (राज्य) में बकाया रहे अन्तरों के निराकरण का अभाव राशि ₹ 157.87 लाख (नामं)

एजेन्सी बैंक द्वारा गलत रिपोर्टिंग के कारण कोषाधिकारी द्वारा ऐसे लेन-देनों को लेखों में शामिल नहीं किये जाने के फलस्वरूप लेखा शीर्ष "8675- रिजर्व बैंक जमा"(राज्य) के अन्तर्गत माह मार्च 2019 तक 4 (चार) कोषालयों के 13 प्रकरणों में राशि ₹ 157.87 लाख नामं के अन्तर विद्यमान थे जिनके निराकरण हेतु निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर, संबंधित कोषाधिकारियों तथा एजेन्सी बैंकों से पत्राचार जारी है। जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या -8 में दर्शाया गया है।

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि संबंधित कोषाधिकारियों को अन्तरों के यथाशीघ्र निराकरण कराने हेतु निर्देश जारी किये जावें ।

## भाग- 3

### 3. कोषालयों एवं उपकोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियाँ और कमियाँ

#### 3.1 वर्ष के दौरान निरीक्षण किए गए कोषालय एवं उपकोषालय

समीक्षा वर्ष 2018-19 के दौरान परिशिष्ट संख्या 3 में वर्णित राजस्थान राज्य के 41 कोषालयों तथा 121 उपकोषालयों एवं निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उपकोषालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पायी गई मुख्य त्रुटियों/ कमियों का विवरण आगामी पैराओं में दर्शाया गया है।

#### 3.2 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन और आक्षेप तथा विलम्ब से प्राप्त अनुपालना

वित्त (आर.एण्ड ए.आई.) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र संख्या एफ.5(27)/आर.एण्ड ए.आई./79 दिनांक 10.6.80 के द्वारा सभी कोषाधिकारियों को यह निर्देश दिए गए थे कि निरीक्षण प्रतिवेदन की पावती तिथि से दो माह की अवधि में प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर को प्राप्त हो जाना चाहिए।

समीक्षा वर्ष के दौरान केवल तीन कोषालयों (ब्यावर, जालौर एवं प्रतापगढ़) के द्वारा ही समय पर प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं 11 कोषालयों द्वारा माह जून, 2019 तक प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया और 27 कोषालयों द्वारा विलम्ब से प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या 9 में दर्शाया गया है।

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि समस्त कोषाधिकारियों को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों की प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन इस कार्यालय में निर्धारित समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये जावें।

31 मार्च 2019 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

	निरीक्षण प्रतिवेदन	आक्षेप
प्रारम्भिक शेष (1.04.2018)	148	441
नये सम्मिलित	44 + 1* = 45	460
योग	193	901
निपटान / निस्तारण	50	372
अन्तिम शेष (31.03.2019)	143	529

(\* निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर )

### 3.3 निरीक्षण प्रभाव एवं उपलब्धियां राशि ₹ 3.51 लाख

कोषालयों व उप कोषालयों के स्थानीय निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं / कमियों में से कुछ वसूलियों को कोषाधिकारी/ उप कोषाधिकारी स्तर पर गम्भीरता से लिया गया, जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 3.51 लाख की मौके पर ही वसूली की कार्यवाही कर राजकोष के संबंधित लेखा शीर्ष में जमा कराने की पालना से निरीक्षण दलों को अवगत कराया गया । जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	निरीक्षण दल द्वारा उजागर की गई अनियमितता का विवरण	जिला कोषालय का नाम	कोष / उप कोष का नाम	वसूली का विवरण	वसूली की गई राशि ₹	वसूल की गई राशि का जीआरएन नम्बर / टी.वी. संख्या व दिनांक
1	उपादान भुगतान आदेश में दर्शाई गई कटौती की वसूली नहीं करना	अजमेर	उपकोष केकड़ी	श्री रामसुख मीणा PPO 1065255 (R)	29173	GRN 22831540 दिनांक 11.05.2018
		जालौर	कोषालय जालौर	श्री गोपी लाल बोहरा PPO No. 1053989(R)	130034	GRN 27476618 दिनांक 10.01.2019
		झुंझुनू	उपकोष उदयपुरवाटी	श्रीमती भगवती देवी PPO No.2007835(R)	1931	GRN 29399059 दिनांक 27.03.2019
		प्रतापगढ़	कोषालय प्रतापगढ़	श्रीमती कौशल्या बाई PPO No. 2011129(R)	17736	GRN 29166410 दिनांक 18.03.2019
		नागौर	उपकोष नावां	श्री हनुमान राम PPO No.1061246(R)	17959	GRN 24890642 दिनांक 28.08.18
		धौलपुर	उपकोष बाड़ी	श्री प्रकाश चंद मीना PPO No.1066430	43446	GRN 27018619 दिनांक 20.12.18
		ब्यावर	कोषालय ब्यावर	श्री छोग सिंह PPO No. 1074385	1050	GRN 24718536 दिनांक 20.08.18
2	मृत्यु एवं पुनर्विवाह के पश्चात सामाजिक पेंशन का भुगतान	राजसमंद	उपकोष भीम	भूरसिंह / भीम सिंह स्वीकृति सं. 641442	5250	GRN 24290365 दिनांक 27.07.2018
				मीठू देवी / गोविंद सिंह	6000	GRN 24299675 दिनांक 27.07.2018
3	रोकड़िये द्वारा प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त करने का अभाव	जालौर	कोषालय जालौर	श्री प्रदीप कुमार जींगर, कैशियर के नाम फिडिलिटी बांड प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर राशि जमा कराई गई	250	GRN27482463 दिनांक 10.01.19
योग					350828	

### 3.4 सिविल पेंशन

#### 3.4.1 उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि से कटौती / वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान राशि ₹ 10.71 लाख


राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 190 (2) के अनुसार उपादान भुगतान आदेश की सकल राशि में दर्शायी गयी कटौती की वसूली करने के बाद ही उपादान की राशि का शुद्ध भुगतान किया जाना चाहिये ।

उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान आदेशों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राशि ₹1071100/- की उपादान राशि से कटौती कर उपादान भुगतान आदेशों में उल्लेखित मद में जमा की जानी थी, परन्तु 03 कोषालयों एवं 17 उपकोषालयों द्वारा 36 प्रकरणों में निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी उपादान भुगतान आदेशों में कटौती योग्य दर्शायी गयी राशि की बिना कटौती किए, पूर्ण उपादान राशि का भुगतान कर दिया गया, जिसका विवरण [परिशिष्ट संख्या 10](#) में दर्शाया गया है ।

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि समस्त कोषाधिकारियों को निर्देश जारी कर उपादान भुगतान आदेश में दर्शायी गई विभागीय कटौती / वसूली की राशि को उपादान राशि के भुगतान के लिए तैयार किये जाने वाले बिल से ही वसूल करायी जावे।

(चार्ट संख्या 3)

#### उपादान भुगतान आदेशों में दर्शायी गयी कटौती / वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान के विगत पाँच वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े



### 3.4.2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सिविल/ सिविल पारिवारिक पेंशनरों को किये गये अधिक भुगतान की सम्बन्धित बैंकों से एकमुश्त वसूली नहीं करना राशि ₹ 01.41 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के अपेंडिक्स 1 बिन्दु संख्या 18 एवं निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ-5/कोष-2/ज.ले.स./14772-810 दिनांक 18.11.2002 द्वारा सभी कोषालयों को सूचित किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति बॉण्ड प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन के अधिक भुगतान के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति बॉण्ड के आधार पर सम्बन्धित बैंक शाखा से एक मुश्त वसूली की जाये।

समीक्षा वर्ष 2018-19 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय चूरू के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्य सिविल/ सिविल पारिवारिक पेंशनरों को किये गये अधिक भुगतान की राशि ₹140790/- की सम्बन्धित बैंको से एकमुश्त वसूली नहीं की गई थी, जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या 11 में दर्शाया गया है।

इस संबंध में निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि समस्त कोषाधिकारियों को सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा किये गये अधिक भुगतान की एकमुश्त वसूली करने के निर्देश जारी किये जावें।

### 3.4.3 पारिवारिक पेंशनर के लिए जारी पी.पी.ओ. एवं पेंशनर द्वारा सत्यापन के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में अंकित जन्म तिथि में अन्तर होना

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के द्वारा पेंशनरों के लिए जारी किये जाने वाले पेंशन भुगतान आदेश एवं पेंशनरों द्वारा अपनी पहचान के सत्यापन के लिए प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अन्तर्गत जन्म तिथि अलग-अलग अंकित की गई थी जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

1. उपकोषालय लक्ष्मणगढ़ (सीकर) से संबंधित पारिवारिक पेंशनर श्रीमती संतरा देवी के लिए जारी पेंशन भुगतान आदेश में जन्म तिथि दिनांक 01.01.1973 दर्शाई गई थी जबकि पेंशनर द्वारा सत्यापन के लिए प्रस्तुत किये गये आयकर विभाग के पेन कार्ड में जन्म तिथि दिनांक 02.02.1965 अंकित की गई थी।
2. उपकोषालय दांतारामगढ़ (सीकर) से संबंधित पारिवारिक पेंशनर श्रीमती इन्दु कवर को जारी पेंशन भुगतान आदेश में जन्म तिथि दिनांक 27.02.1979 दर्शाई गई थी जबकि पेंशनर द्वारा प्रस्तुत किये गये आधार कार्ड के अन्तर्गत जन्म तिथि दिनांक 01.02.1979 अंकित की गई थी।

अतः संबंधित कोषाधिकारी के स्तर पर उपरोक्त अनियमितताओं का निराकरण कर पालना से अवगत कराया जावे।

### 3.4.4 बैंक ई-स्कॉल में लुप्त एवं कोषालय पेंशन चैक रजिस्टर में प्रदर्शित तथा कोषालय पेंशन चैक रजिस्टर में लुप्त एवं बैंक ई-स्कॉल में प्रदर्शित डाटाज का समय पर निस्तारण नहीं करना

कोषालय के ऑनलाईन पेंशन चैक रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, ब्यावर, प्रतापगढ़, टोंक एवं जैसलमेर

के द्वारा बैंक ई-स्कॉल में लुप्त एवं कोषालय के पेंशन बैंक रजिस्टर में प्रदर्शित तथा कोषालय के पेंशन बैंक रजिस्टर में लुप्त एवं बैंक ई-स्कॉल में प्रदर्शित होने वाले डाटाज का निरन्तर अंकमिलान की प्रक्रिया अपना कर निस्तारण नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप पेंशन बैंक रजिस्टर (पी.सी.आर.) में खुलने वाली रिपोर्टों में ऐसे डाटाज यथावत प्रदर्शित हो रहे थे।

अतः अंकमिलान के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण करवाकर पालना से अवगत कराया जावे।

### 3.4.5 पेंशन की रूपांतरित राशि की नियत तिथि के बाद घटी हुई दर के स्थान पर पूर्ण पेंशन दिये जाने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 0.64 लाख एवं वास्तविक से अधिक कटौती किये जाने के कारण कम भुगतान राशि ₹ 0.75 लाख

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन रूपांतरण) नियम 1996 के नियम 6 (1)(iii)(क) के अनुसार यदि पेंशनर किसी कोषागार से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है, रूपांतरण के कारण पेंशन की राशि में कमी पेंशन की रूपांतरित राशि प्राप्त करने की तारीख से या निदेशक, पेंशन द्वारा पेंशन की रूपांतरित राशि के भुगतान के लिए अथॉरिटी के जारी करने के बाद तीन माह की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पहले हो, लागू होगी।

कोषालयों / उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पेंशन की रूपांतरित राशि का नियत तिथि के बाद घटी हुई दर के स्थान पर पूर्ण पेंशन दिये जाने के कारण चार कोषालयों के अन्तर्गत नौ पेंशनरों को राशि ₹ 64,378/- का अधिक भुगतान एवं वास्तविक से अधिक कटौती किये जाने के कारण एक कोषालय में तीन पेंशनरों को राशि ₹ 75,222/- का कम भुगतान किया गया जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट संख्या 12 में दर्शाया गया है।

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि समस्त कोषाधिकारियों को नियमानुसार नियत तिथि के पश्चात घटी दर से पेंशन राशि का भुगतान करने पर पूर्ण ध्यान दिये जाने के निर्देश जारी किये जावें ।

### 3.4.6 सिविल पेंशन एरियर राशि में से स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं करना राशि ₹ 3.56 लाख


आयकर अधिनियम 1961 की धारा 93 एवं चैप्टर 2.4 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की पेंशन भुगतान राशि मय एरियर के आयकर छूट सीमा से अधिक होती है तो एरियर राशि में से स्रोत पर आयकर (T.D.S.) एवं आयकर राशि पर शिक्षा प्रभार की कटौती की जानी चाहिये अथवा सम्बन्धित पेंशनर से आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर में छूट बाबत आवश्यक बचत प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने चाहिये या चैप्टर VII के सेक्शन 89 के अनुसार 10E प्रपत्र प्राप्त करने चाहियें।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 4 कोषाधिकारियों एवं 12 उप कोषाधिकारियों द्वारा पेंशनरों को पेंशन एरियर राशि के किये गये भुगतान में से आयकर व शिक्षा प्रभार पेटे राशि ₹ 3,56,473/- की कटौती नहीं/ कम की गई और आवश्यक बचत प्रमाण पत्र एवं सेक्शन 89 के अनुसार 10E प्रपत्र भी प्राप्त नहीं किये गये, जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट संख्या 13 में दर्शाया गया है ।

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि समस्त कोषाधिकारियों को पेंशन एरियर राशि के भुगतान के समय आयकर में छूट प्राप्ति योग्य दस्तावेज प्राप्त करने अथवा आयकर राशि की वसूली करने के निर्देश जारी किये जावें ।

(चार्ट संख्या 4)

कोषालयों / उप कोषालयों द्वारा सिविल पेंशन एरियर भुगतान राशि में से स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं करने संबंधी विगत पाँच वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े



### 3.4.7 पेंशन चैक रजिस्टर में कम / अधिक भुगतान के मिस-मैच मद प्रकट होना

शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.5 (थ-75) कोष/ आईएफएमएस /सिविल पेंशन/1358-1413 दिनांक 24.04.2013 के अनुसार कोषाधिकारियों एवं पेंशन का भुगतान करने वाली बैंको को यह निर्देश जारी किये गये थे कि कोषालय एवं बैंक के डाटा में समरूपता होनी चाहिये ।

कोषालयों के निरीक्षण के दौरान कम्प्यूटर पर ऑन लाईन संधारित पेंशन चैक रजिस्टर की समीक्षा में कोषालय व बैंक के डाटा में अनेक प्रकरणों में समरूपता नहीं पायी गई एवं पेंशन चैक रजिस्टर में कम/ अधिक भुगतान के आंकड़े प्रदर्शित हो रहे थे, जिसका कोषालयवार विवरण [परिशिष्ट संख्या 14](#) में दर्शाया गया है।

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि समस्त कोषाधिकारियों को कोष एवं अधीनस्थ बैंक शाखा के द्वारा पेंशन चैक रजिस्टर में वास्तविक व सही आंकड़े दर्शाने अथवा उत्पन्न अंतर का तुरंत निराकरण करने के निर्देश जारी किये जावें ।



### 3.5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन

#### 3.5.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की मृत्यु / पुनर्विवाह के पश्चात भुगतान की गई राशियों को संबंधित बैंक खातों से प्राप्त कर राजकोष में जमा कराने का अभाव राशि ₹ 44.11 लाख

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के नियम 9(i) के अनुसार पेंशन पेंशनर की मृत्यु की तारीख को समाप्त हो जायेगी एवं मृत्यु की तिथि तक देय पेंशन की अनाहरित समस्त राशि व्यपगत हो जायेगी तथा नियम 7(iii) के अनुसार विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा के मामले में पेंशन की वैधता उनके पुनर्विवाह न करने तक होगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन मॉड्यूल में जनित " पेमेंट आफ्टर डेथ एण्ड रिमेरिज रिपोर्ट " की जांच के दौरान पाया गया कि पेंशनर की मृत्यु एवं पुनर्विवाह की तारीख के पश्चात कुल 721 नमूना जांच प्रकरणों में भुगतान की गई राशि ₹ 44,10,600/- को संबंधित बैंक खातों से प्राप्त कर राजकोष में जमा नहीं कराया गया। जिसका विवरण संलग्न [परिशिष्ट संख्या 15](#) में दर्शाया गया है।

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि मृत्यु एवं पुनर्विवाह के पश्चात भुगतान की गई राशियों को संबंधित बैंक खातों से प्राप्त कर राजकोष में जमा कराने की प्रक्रिया में त्वरित कार्यवाही अमल में लाने के लिए समस्त कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किये जावें ।

#### 3.5.2 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के एक से अधिक लाभार्थियों की पेंशन का एक ही बैंक खाते में अनियमित भुगतान राशि ₹ 4.53 लाख

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के नियम 16(II) के अनुसार लाभार्थी को पेंशन राशि का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है ।

राजएसएसपी मॉड्यूल में जनित " डुप्लीकेट अकाउन्ट पेंशनर इन मास्टर डिस्ट्रीक्ट वाईज " से प्राप्त रिपोर्ट्स की समीक्षा में पाया गया कि एक से अधिक लाभार्थियों (परिवार सदस्यों को छोड़ते हुए) की पेंशन का एक ही बैंक खाते के माध्यम से नमूना जांच के 29 प्रकरणों में 58 पेंशनरों को राशि ₹ 4,52,750/- का अनियमित भुगतान किया गया था, जिसका विवरण [परिशिष्ट संख्या 16](#) में दर्शाया गया है।

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि परिवार सदस्य से भिन्न पेंशनरों के प्रकरणों में बैंक खाता संख्या फीडिंग में की गई त्रुटियों के कारण संबंधित लाभार्थियों की पहचान कर राजकोष से किये गये अधिक भुगतान की राशि की वसूली एवं पेंशन लाभ से वंचित सही लाभार्थी को भुगतान करने हेतु समस्त कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किये जावें ।

### 3.5.3 राजएसएसपी मॉड्यूल में पेंशनर के अपात्र होने की तिथि के पश्चात भी भुगतान किये जाने के संबंध में चैक लगने का अभाव- कुल भुगतान राशि ₹ 41.29 लाख

सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के अन्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ 09(05) (12-1) सान्याअवि / 2013-14/ 3340 / दिनांक 15.04.2013 के द्वारा जोड़े गये प्रावधानानुसार वार्षिक आय ₹ 48,000/- से कम हो, महिला की आयु 55 वर्ष या इससे अधिक तथा पुरुष की आयु 58 वर्ष या इससे अधिक हो तो पेंशन की पात्रता मानी जावेगी एवं आवेदक पेंशन की पात्रता रखते हुए भी, यदि प्रार्थी के पति या पत्नि या पुत्र राज्य सरकार की राजकीय सेवा/ राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या राजकीय पेंशनर हो तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। विभाग के समसंख्यक अन्य आदेश संख्या 8591 दिनांक 29.09.14 द्वारा इसके साथ यह और जोड़ा गया कि केन्द्र सरकार/ अन्य राज्य सरकार/ राज्य सरकार/ राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या इनका पेंशनर हो तो इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी ।

राजएसएसपी मॉड्यूल में स्टॉप पेंशनर्स एवं डिस्ट्रीक्ट वाईज कैंसिलेशन रिपोर्ट की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि विभिन्न पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा अपात्र पेंशनरों को पेंशन स्वीकृतियां जारी की गई थीं, जिसके फलस्वरूप विभिन्न कोषालय/ उप कोषालयों द्वारा 455 प्रकरणों में पेंशन राशि ₹ 41,28,750/- का भुगतान कर दिया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या 17 में दर्शाया गया है ।

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारियों से पेंशनर के अपात्र घोषित करने की तिथि तत्काल कोषालय / उप कोषालय को ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु सॉफ्टवेयर में व्यवस्था करने एवं अपात्र अवधि में भुगतान की गई राशि की गणना कर नियमानुसार उसकी वसूली कराने के लिए समस्त कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किये जावें ।

### 3.5.4 सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दोहरा भुगतान राशि ₹ 9.61 लाख

संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 5-एफ (थ-75) कोष / आईएफएमएस / एसएसपी /14127-14159 दिनांक 02.08.13 के बिन्दु संख्या 7 के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृतियों में किसी प्रकार की अशुद्धि के कारण गलत लाभार्थी को भुगतान होने पर सम्पूर्ण दायित्व संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी का होगा तथा उनके स्तर पर उसकी वसूली की जायेगी एवं ऐसी अशुद्ध स्वीकृतियों को रद्द कर दिया जायेगा ।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा एक व्यक्ति को दोहरी स्वीकृतियां जारी करने एवं भुगतान करने के कारण 108 प्रकरणों में राशि ₹ 9,60,750/- का दोहरा/ अधिक भुगतान कर दिया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या 18 में दर्शाया गया है ।

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि पेंशनरों का वार्षिक भौतिक सत्यापन सही-सही करवाकर समस्त दोहरी स्वीकृतियों की पहचान कर उन्हें निरस्त करने एवं दोहरे भुगतान की राशियों को संबंधित से वसूली करने के लिए समुचित व्यवस्था की जावे ।

### 3.5.5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (RAJSSP) मॉड्यूल की "पेमेंट ऑफ्टर डेथ एण्ड रिमेरिज" रिपोर्ट एवं "पेमेंट रजिस्टर (OAP-7)" रिपोर्ट के अन्तर्गत भुगतान से संबंधित माह व राशि के अन्तर का अंक मिलान न होना

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत राजएसएसपी (RAJSSP) के लिए तैयार किये गये मॉड्यूल की "पेमेंट ऑफ्टर डेथ एण्ड रिमेरिज" रिपोर्ट में किसी भी पेंशनर की मृत्यु एवं पुनर्विवाह के पश्चात उसके बैंक खाते में भुगतान की गई तथा वसूली कर राजकोष में जमा कराने योग्य माह वार राशि, मृत्यु/ पुनर्विवाह की दिनांक, स्वीकृति निरस्त करने की दिनांक इत्यादि विवरण प्रदर्शित होता है एवं इसके अतिरिक्त "पेमेंट रजिस्टर (OAP-7)" रिपोर्ट में किसी पेंशनर को किये गये भुगतान से संबंधित माहवार राशि, टी.वी. संख्या व दिनांक इत्यादि का परिपूर्ण विवरण प्रदर्शित होता है जिनका आपसी मिलान करने पर पाया गया कि "पेमेंट रजिस्टर (OAP-7)" रिपोर्ट में पेंशनर की मृत्यु/ पुनर्विवाह के पश्चात किये गये समस्त वसूली योग्य भुगतानों को "पेमेंट ऑफ्टर डेथ एण्ड रिमेरिज " रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

अतः "पेमेंट ऑफ्टर डेथ एण्ड रिमेरिज" रिपोर्ट में एनआईसी स्तर से आवश्यक प्रावधान करवाकर परिपूर्ण डाटा को प्रदर्शित कराया जाना तथा "पेमेंट रजिस्टर (OAP-7)" रिपोर्ट से मिलान कराया जाना अपेक्षित है

### 3.5.6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन (RAJSSP) मॉड्यूल की विभिन्न रिपोर्टों में कुल पेंशनरों की संख्या एक समान न होना

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन (RAJSSP) के लिए तैयार किये गये मॉड्यूल की "एज वाईज टोटल पेंशनर्स "रिपोर्ट" राजस्थान सोशियल सिक्युरिटी बेनिफिसरी एब्सट्रेक्ट एट ए ग्लॉस (डिस्ट्रिक्ट वाईज)" रिपोर्ट तथा "केटेगिरी वाईज टोटल पेंशनर" रिपोर्ट के अन्तर्गत (तीनों रिपोर्टों में) कुल पेंशनरों की संख्या दर्शायी जाती है किंतु कोषालय बाड़मेर की इन रिपोर्टों के आपसी मिलान में पाया गया कि कुल पेंशनरों की संख्या एक समान नहीं दर्शाकर क्रमशः 239101, 239110, 239101 (भिन्न-भिन्न) दर्शायी गई थी जिसके फलस्वरूप पेंशनरों की संख्या में नौ का अन्तर उत्पन्न हो गया था।

अतः मॉड्यूल की विभिन्न रिपोर्टों में राज्य के समस्त कोषालयों/ उप कोषालयों के लिए कुल पेंशनरों की संख्या एक समान प्रदर्शित करने के लिए एनआईसी स्तर से आवश्यक प्रावधान कराये जाना अपेक्षित हैं।

### 3.5.7 धनादेश वापसी पंजिका का नियमानुसार संधारण का अभाव

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम 2013 के परिशिष्ट "क" के बिन्दु 2(iii)(क) के अन्तर्गत मनिऑर्डर द्वारा भेजी गई पेंशन के लेखे के यथोचित रख-रखाव के लिए निर्धारित प्रारूप एसएसपी-X में धनादेश पंजिका के संधारण करने के प्रावधान हैं किंतु

उपकोषाधिकारी सुजानगढ़ एवं बीदासर (चूरू) के द्वारा धनादेश पंजिका का नियमानुसार संधारण नहीं करने के कारण मनिऑर्डर द्वारा भेजी गई पेंशन का सत्यापन सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अतः धनादेश पंजिका का नियमानुसार संधारण कराया जाना अपेक्षित है।

### 3.6 आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रस्तुत करने का अभाव राशि ₹ 107.32 करोड़


राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली के नियम 220 में वर्णित विभागों, कार्यालयों द्वारा नियमों में वर्णित कार्यों हेतु संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों (ए.सी. बिल) द्वारा धन राशि का आहरण किया जा सकता है जिसके विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल (डी.सी. बिल) सामान्यतः एक माह, परन्तु किसी भी मामले में तीन माह से अधिक नहीं, की अवधि में कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत कर देने चाहिए। प्रत्येक माह की 10 तारीख के पश्चात् आहरण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रथम ए.सी. बिल के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा कि पिछले माह में उठाये गए ए.सी. बिलों के डी.सी. बिल अमुक तारीख को कार्यालय, महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

ए.सी. बिलों के डी.सी. बिल प्रेषित किए जाने का रिकार्ड कोषालयों द्वारा भी यह देखने के लिए रखा जाता है कि पिछले माह के ए.सी. बिलों के डी.सी. बिल प्रेषित कर दिए गए हैं अथवा नहीं। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि परिशिष्ट संख्या 19 में दर्शाये गए राज्य के 30 कोषालयों से संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित कुल 569 संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों (ए.सी. बिल) की राशि ₹ 1,07,32,27,745/- के विस्तृत व्यय बिल (डी.सी. बिल) इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किये गये थे जिनमें से केवल कोषालय अजमेर व कोषालय जयपुर (सचिवालय) से अधिकतम संख्या क्रमशः 183 व 124 बकाया डी.सी. बिल लम्बित है।

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि लम्बे समय से बकाया चल रहे ए.सी. बिलों की पहचान करने व उनका शीघ्र समायोजन कर डी.सी. बिल शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य स्तर पर सीधी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जावे।

(चार्ट संख्या 5)

#### आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित ए.सी. बिलों के बकाया डी.सी. बिलों का विगत पाँच वर्षों का तुलनात्मक विवरण



### 3.7 निजी निक्षेप खाते एवं जमा खाते

#### 3.7.1 निजी निक्षेप खाताधारकों से अवशेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करना

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 99 के अनुसार कोषाधिकारी/ उप कोषाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल माह में 31 मार्च को निजी निक्षेप खाते में शेष रही राशि का सहमति प्रमाण पत्र प्रत्येक निजी निक्षेप खातों के प्रशासक (खाताधारक) से प्राप्त करना चाहिए ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 33 कोषाधिकारियों द्वारा लेखा शीर्ष 8443-106 के अन्तर्गत 382 निजी निक्षेप खाताधारकों से शेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या 20 में दर्शाया गया है।

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि निजी निक्षेप खातों के 31 मार्च को प्राप्त अंतिम शेष के आधार पर संबंधित खाता धारक संस्था से अन्तर की जानकारी के लिए प्रतिवर्ष अप्रैल माह में प्राप्त किये जाने वाले सहमति प्रमाण पत्रों पर किसी प्रकार की शिथिलता न बरतने के समस्त कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किये जावें ।

#### 3.7.2 सिविल जमा एवं अपराध न्यायालय जमा के लिए खातों का संधारण एवं धन-ऋण (Plus-Minus) ज्ञापन तैयार करने का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 101 के अनुसार जमा खातों का लेजर प्रारूप 3 एवं धन-ऋण ज्ञापन प्रारूप 5 में संधारण किये जाने चाहियें ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न कोषालयों के द्वारा जमाओं के लिए लेजर व धन-ऋण ज्ञापन तैयार नहीं किये गये थे जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

- (1) कोषाधिकारी पाली तथा जोधपुर(ग्रामीण) द्वारा लेजर का संधारण नहीं किया गया।
- (2) कोषाधिकारी धौलपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, बीकानेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बारां, टोंक तथा भुगतान एवं लेखाधिकारी नई दिल्ली द्वारा धन-ऋण ज्ञापन तैयार नहीं किये गये।

#### 3.7.3 निजी निक्षेप खातों के लिए महालेखाकार कार्यालय में संधारित वृहद पुस्तिका एवं कोषालयों द्वारा प्रेषित प्लस- माईनस मीमों के अन्तिम शेषों के मध्य उत्पन्न धनात्मक अन्तर ₹ 1.38 करोड़ व ऋणात्मक अन्तर ₹ 2.60 करोड़ एवं शुद्ध ऋणात्मक अन्तर ₹ 1.22 करोड़ के निराकरण का अभाव

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर द्वारा निजी निक्षेप खातों की संधारित वृहद पुस्तिका व कोषालयों द्वारा प्रेषित प्लस-माईनस मीमों में दर्शाये गये आंकड़ों के मध्य माह मार्च 2019 तक के लेखों की समाप्ति के बाद 28 कोषालयों के 105 निजी निक्षेप खातों के अन्तर्गत ₹ 1,38,61,513.58/- के (+) धनात्मक एवं ₹ 2,60,44,460/- के (-) ऋणात्मक अंतर तथा शुद्ध (-) ऋणात्मक अन्तर ₹ 1,21,82,946.42 के प्रकट हो रहे थे, जिनका कोषालयवार व खातावार विवरण परिशिष्ट संख्या 21 में दर्शाया गया है। संबंधित

कोषाधिकारियों के द्वारा इस कार्यालय की पुस्तकों के शेषों से अंक मिलान नहीं किये जाने के कारण अन्तरों का निस्तारण नहीं किया जा सका।

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि प्रति माह कोषालय प्रतिनिधि को मय रिकार्ड इस कार्यालय में संधारित वृहद पुस्तिकाओं से अंक मिलान करने हेतु समस्त कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किये जावें ।

### 3.7.4 कोषालय द्वारा संधारित निजी निक्षेप खातों के शेष एवं निजी निक्षेप खाता धारकों की पासबुक के शेषों के मध्य प्रकट हो रहे धनात्मक अन्तर ₹ 5.66 करोड़ व ऋणात्मक अन्तर ₹ 1.39 करोड़ एवं शुद्ध ऋणात्मक अन्तर ₹ 4.27 करोड़

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 99 के अनुसार कोषाधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में निजी निक्षेप खातों के शेषों के मिलान के लिए खाता धारकों से सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये तथा अंतर की स्थिति में यथाशीघ्र अंक मिलान कर निराकरण किया जाना चाहिये ।

वर्ष 2018-19 में किये गये कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निजी निक्षेप खातों व संस्था की पासबुक के दिनांक 31.03.2018 तक के आंकड़ों के मध्य 9 कोषालयों के 22 खातों के अन्तर्गत ₹ 5,66,42,289.74 के (+) धनात्मक एवं ₹ 1,39,54,893.99 के (-) ऋणात्मक अंतर तथा शुद्ध (+) धनात्मक अन्तर ₹ 4,26,87,395.75 के प्रकट हो रहे थे, जिनका कोषालयवार व खातावार विवरण परिशिष्ट संख्या 22 में दर्शाया गया है।

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि निजी निक्षेप खातों के शेष एवं निजी निक्षेप खाता धारकों की पासबुक के शेषों के मध्य प्रकट हो रहे अंतरों के शीघ्र निराकरण के लिए समस्त कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किये जावें।

## 3.8 सुरक्षित कक्ष

### 3.8.1 सुरक्षित कक्ष में रखी गई तिजोरियों का किराया वसूली का अभाव राशि ₹ 0.12 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 119 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सहकारी बैंकों एवं अन्य वैधानिक स्थानीय निकायों की सुरक्षित कक्ष में रखी गयी तिजोरी का प्रतिवर्ष या वर्ष के किसी भाग के लिए किराया राशि ₹12,000/- वार्षिक दर से वसूल की जानी चाहिये ।

जांच के दौरान पाया गया कि कोषालय बीकानेर द्वारा सुरक्षित कक्ष में रखी गई पंचायत समिति बीकानेर की तिजोरी के किराया पेटे राशि ₹12,000/- की वसूली नहीं की गयी ।  
इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि संबंधित कोषाधिकारी को बकाया किराया राशि की वसूली हेतु निर्देश जारी किये जावें ।

### 3.8.2 असुरक्षित घोषित भवन में सुरक्षित कक्ष का संचालन करना

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 116 के अनुसार सुरक्षित कक्ष के रूप में उपयोग में लिए जा रहे भवन के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का प्रावधान है।

कोषालय सिरोही के सुरक्षित कक्ष हेतु गठित निरीक्षण समिति द्वारा कीमती सामानों के रख-रखाव के लिए उपयोग में लिये जा रहे भवन को दिनांक 27.10.2010 को असुरक्षित बताया गया था, किन्तु उक्त भवन में निरन्तर सुरक्षित कक्ष का संचालन किया जा रहा है।

अतः राज्य सरकार के सक्षम स्तर से कोषालय को कीमती सामानों के रख-रखाव हेतु तकनीकी दृष्टि से सुरक्षित भवन उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

### 3.9 मुद्रांक

#### 3.9.1 मुद्रांक विक्रेताओं से मुद्रांक शुल्क पर आधारभूत अवसंरचना अधिभार एवं गौसंवर्धन अधिभार की वसूली का अभाव राशि ₹ 2.40 लाख

संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग (कर अनुभाग) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक: एफ.4 (3) वित्त/कर 2017-129 एवं 130 दिनांक 31 मार्च 2017 के द्वारा संदेय स्टाम्प शुल्क पर क्रमशः 10 प्रतिशत आधारभूत अवसंरचना अधिभार एवं 10 प्रतिशत गौसंवर्धन अधिभार अर्थात् कुल 20 प्रतिशत अधिभार प्रभारित करने के निर्देश जारी किये गये थे।

उपकोष चिड़ावा (झुन्झुनू) द्वारा राशि ₹ 35,000/- एवं रानी (पाली) द्वारा राशि ₹11,62,500/- के विक्रय किये मुद्रांकों के मूल्य पर क्रमशः राशि ₹ 7,000/- व ₹ 2,32,500/- कुल ₹ 2,39,500/- के अधिभार की वसूली नहीं की गई।

इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि मुद्रांक विक्रेताओं से बकाया अधिभार राशि की यथाशीघ्र वसूली के लिए संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किये जावें।

#### 3.9.2 मुद्रांक विक्रेताओं को निर्धारित दर से अधिक बट्टा (कमीशन) दिये जाने के कारण राजस्व की कम प्राप्ति राशि ₹ 0.17 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 238 के अनुसार मुद्रांक विक्रेताओं को राशि ₹ 1 से 400 तक के मूल्य के मुद्रांकों के विक्रय पर 2% तथा ₹ 401/- एवं इससे अधिक मूल्य के मुद्रांकों के विक्रय पर 1% बट्टा (कमीशन) दिया जाना चाहिये।

जांच के दौरान पाया गया कि मुद्रांक विक्रेताओं को निर्धारित दर से अधिक बट्टा दिये जाने के कारण राजकोष में राजस्व की कम प्राप्ति की गई जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोष / उपकोष का नाम	देय कमीशन की राशि ₹	दिये गये कमीशन की राशि ₹	मुद्रांक विक्रेताओं को दिये गये अधिक कमीशन राशि ₹
1	सुमेरपुर (पाली)	14390	16340	1950
2	वैर (भरतपुर)	10470	12770	2300
3	हिण्डौन (करौली)	780	1340	560
4	दौसा	6275	7850	1575

5	कोटपुतली (जयपुर ग्रामीण)	4000	5000	1000
6	भीलवाड़ा	5636	6662	1026
7	झालावाड़	6508	8398	1890
8	ओसियां (जोधपुर ग्रामीण)	13638	20560	6922
	योग	61697	78920	17223

अतः निर्धारित दर से अधिक दर पर किये गये अधिक भुगतान की संबंधित मुद्रांक विक्रेताओं से वसूली सुनिश्चित कर राजकोष की पूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

### 3.9.3 अनुपयोगी/ कम प्राप्त/ कटे-फटे/ अप्रचलित/ मिसप्रिंट मुद्रांको के निस्तारण का अभाव राशि ₹ 45.99 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 246 के अनुसार कम पाये गये / कटे-फटे / अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांको के निस्तारण हेतु रिपोर्ट संबंधित कोषाधिकारी द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित की जानी चाहिये एवं आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर तदानुसार निस्तारण की कार्यवाही करनी चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान 12 कोषालयों में राशि ₹ 4599220.05 के कम प्राप्त/ कटे-फटे/ अप्रचलित/ मिसप्रिंट मुद्रांक पाये गये थे, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय/ उपकोषालय	कम प्राप्त / कटे-फटे / अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांको की राशि ₹
1	भरतपुर	कुम्हेर	7500
2	करौली	करौली	681722
3	धौलपुर	धौलपुर	62304
4	बारां	बारां	6500
5	चूरु	चूरु	51239.30
6	बीकानेर	बीकानेर	16300
7	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	68313
8	उदयपुर	उदयपुर	2918510.75
9	ब्यावर	ब्यावर	1181
10	उदयपुर	सलूमबर	20000
11	जोधपुर (शहर)	जोधपुर (शहर)	244945
12	टोंक	टोंक	520705
	योग		4599220.05

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि अनुपयोगी/ कम प्राप्त/ कटे-फटे/ अप्रचलित/ मिसप्रिंट मुद्रांको के निस्तारण के लिए महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर से निस्तारण की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निदेशालय से एक समेकित पत्र प्रेषित किया जावे।



### 3.10 दीर्घकालीन ऋण / अग्रिम

#### 3.10.1 भवन निर्माण ऋण के लिए खोले गये निजी निक्षेप खाता सं. 473 में जमा राशि का निस्तारण / समायोजन नहीं करना राशि ₹ 36.90 करोड़

राज्य कर्मचारियों को दिनांक 31.03.2004 से पूर्व गृह निर्माण हेतु स्वीकृत ऋण दिनांक 1.04.2004 से राज्य सरकार एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान में एस.बी.आई.) के मध्य हुए करार एवं वित्त (मार्गोपाय) विभाग के पत्रांक दिनांक 24.04.2004 के अनुसार कटौतियां जमा कराने हेतु मद 8443-106 में निजी निक्षेप खाता खोलने की स्वीकृति जारी की गई। कोषाधिकारियों द्वारा उक्त मद में खाता संख्या - 473 खोला जाने तथा प्राप्त कटौतियों को इस खाते में जमा कर डी.डी. / बैंकर चैक द्वारा एस.बी.बी.जे. (वर्तमान में एस.बी.आई.) शाखा शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। उक्त बैंक शाखा द्वारा ऋणी कार्मिक के व्यक्तिगत खाते में खतौनी की जानी थी।

एस.बी.बी.जे. शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा एक सीमा के बाद ऋणी कार्मिकों के भवन ऋण के लेखा-जोखा को दर्शाने वाले निर्धारित 20 कॉलम प्रपत्र वापिस कर दिये एवं जिन कर्मचारियों के 20 कॉलम प्रपत्र वापिस किये गये उनके कोर बैंकिंग सोल्यूसन (CBS) के अन्तर्गत खाते नहीं खोले गये तथा 38 कोषालयों के अन्तर्गत उन नॉन कोर बैंकिंग सोल्यूसन खाताधारकों की कटौती की राशि ₹ 36,90,20,710.70 भवन ऋण/अग्रिम से संबंधित बजट लेखा शीर्ष 7610 के स्थान पर उक्त निजी निक्षेप खाता संख्या 473 में जमा किये जाने के कारण राजकोष को पुनर्भरण नहीं किया गया। उक्त राशि का विवरण परिशिष्ट संख्या 23 में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि समस्त कोषालयों के स्तर पर निजी निक्षेप खाता संख्या- 473 में जमा राशि को भवन ऋण/अग्रिम से संबंधित बजट लेखा शीर्ष 7610 में नियमानुसार हस्तांतरण की कार्यवाही कर राजकोष का पुनर्भरण कराया जावे।

#### 3.10.2 दीर्घकालीन ऋणों के लिए वृहद् पुस्तिका के संधारण का अभाव

वित्त विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक 1-80 दिनांक 06.05.1988 के अनुसार राजकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रदान किये गये दीर्घकालीन ऋण (वाहन व भवन ऋण) की वृहद् पुस्तिकाओं के सभी स्तम्भों की पूर्ति की जानी चाहिये।

नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कोष कार्यालय चित्तौड़गढ़, करौली, चूरू, जयपुर (ग्रामीण), सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर (शहर), उदयपुर(ग्रामीण), जोधपुर(शहर), जोधपुर (ग्रामीण), प्रतापगढ़, टोंक तथा भुगतान एवं लेखाधिकारी नई दिल्ली के द्वारा राजकीय कर्मचारियों को दिये गये दीर्घकालीन ऋणों के लेखों के रख-रखाव के लिए वृहद् पुस्तिका का परिपूर्ण संधारण नहीं किया गया था। सभी कोषालयों के स्तर पर दीर्घकालीन ऋणों की वृहद् पुस्तिका का संधारण कराया जाना अपेक्षित है।

### 3.11 अन्य अनियमिततायें

#### 3.11.1 मुख्य लेखा शीर्ष 8448-120 के अन्तर्गत बकाया राशियों के निस्तारण का अभाव राशि ₹ 0.88 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 99 के अनुसार 31 मार्च तक के शेषों का कोषालयों के लेखों से अंकमिलान कोषाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल माह तक आवश्यक रूप से कर लेना चाहिये तथा अवशेषों का सत्यापन कर बकाया एवं ऋणात्मक शेषों को समाप्त कर देना चाहिये।

कोषालय जयपुर (सचिवालय) के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मुख्य लेखा शीर्ष 8448-120 में जमा ₹ 88,432/- की राशियों को वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात मुख्य लेखा शीर्ष 8338-104 में स्थानांतरित कर निस्तारण नहीं किया गया था।

#### 3.11.2 व्यपगत शेषों की सूची प्रस्तुत करने का अभाव ₹ 2.29 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 114 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली के नियम 265 के अनुसार प्रतिवर्ष व्यपगत हो चुके तीन वर्ष पुराने अदावी शेषों की सूची महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिये।

किन्तु कोषाधिकारी भीलवाड़ा द्वारा उपरोक्तानुसार तीन वर्ष पुराने 22 अदावी शेषों राशि ₹ 2,28,911/- की सूची व्यपगत करने हेतु महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं की गई।

अतः सूची तैयार कर अदावी शेषों को नियमानुसार व्यपगत किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित है।

#### 3.11.3 बुक हस्तांतरण के माध्यम से की गई राजकीय प्राप्तियों की राशियों को गलत मद में जमा कराना ₹ 0.10 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 199 के अनुसार कम्प्यूटर द्वारा जनित दैनिक सहायक पंजिका को मुख्य लेखा शीर्ष वार मिलान किया जाना चाहिये तथा राशियों के वर्गीकरण संबंधी पायी जाने वाली त्रुटि का सुधार कराया जाना चाहिये।

नमूना जांच में पाया गया कि उपकोष रायपुर (भीलवाड़ा) द्वारा सिविल पेंशनरों के उपादान भुगतान आदेशों में दर्शाई गई विभागीय कटौतियों की राशि ₹ 10,360/- को बुक हस्तांतरण के माध्यम से राजकोष के गलत मुख्य लेखा शीर्ष में जमा किया गया था।

अतः त्रुटि का सुधार कराने के साथ-साथ उपकोष स्तर पर राजकीय लेनदेनों को दैनिक सहायक पंजिका से सत्यापन की प्रक्रिया लागू की जाना अपेक्षित है।

#### 3.11.4 एनआईसी द्वारा बैंक एण्ड पर प्राप्ति चालानों में अनाधिकृत परिवर्तन करना

सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक:एफ5 (टीएच-75), डीटीए/आईएफएमएस/341-940 दिनांक 17.04.2017 के अनुसार एजेंसी बैंकों की सभी शाखाओं को (एकीकरण वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-ग्रास / राजकोष के लिए) राजकीय प्राप्तियों के संग्रहण के लिए अधिकृत किया गया था।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एनआईसी द्वारा विकसित आईएफएमएस प्रणाली में ई-चालान के माध्यम से जमा कराये गये प्राप्त चालानों की राशि में सिस्टम द्वारा स्वतः परिवर्तन कर दिया जाता है।

अतः एनआईसी स्तर पर सिस्टम में रही कमी का सुधार करवाकर प्रगति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

### 3.11.5 जीएसटी पोर्टल पर जनित मिस-मैचों के निराकरण का अभाव ₹ 0.84 लाख

वित्त विभाग (कर), राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक: एफ12(5) एफ डी/ कर/ 2017-59 दिनांक 30.06.2017 के बिन्दु संख्या 4-ई के अनुसार जीएसटी पोर्टल पर प्राप्त चालानों का सूचारू रूप से मिलान किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ई-कोषालय जयपुर के द्वारा जीएसटी पोर्टल पर माह 03/2018 से 02/2019 तक राशि ₹ 84,028/- के कुल 20 लेनदेन के प्रकरणों में उत्पन्न हो रहे मिस-मैच मदों का मिलान सुनिश्चित कर निस्तारण नहीं किया गया था।

अतः नियमानुसार निस्तारण कार्यवाही की जा कर प्रगति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

### 3.11.6 रोकडिये से प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त करने का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 63 एवं सामान्य एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम के नियम 313 के अनुसार कोषालयों एवं उपकोषालयों में कार्यरत भण्डारपाल / रोकडिये से पर्याप्त राशि का प्रतिभूति बंधपत्र प्राप्त किया जाना चाहिये।

समीक्षा वर्ष 2018-19 के दौरान 3 कोषालयों एवं 33 उपकोषालयों द्वारा रोकडिये से पर्याप्त राशि का प्रतिभूति बंधपत्र प्राप्त नहीं किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या 24 में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि कोष/ उपकोष में भण्डार पंजिका, मुद्रांक पंजिका एवं कैशबुक संधारणकर्ता से पर्याप्त राशि का प्रतिभूति बंधपत्र प्राप्त करने हेतु समस्त कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किये जावें ।

### 3.11.7 रोकड़ बही के संधारण का अभाव

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग-प्रथम के नियम 48(i) के अनुसार रोकड़ बही का संधारण किया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2018-19 के दौरान पाया गया कि 9 कोषालयों एवं 44 उप कोषालयों में रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था, जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या 25 में दर्शाया गया है।


अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग-प्रथम के नियम 48(i) के अनुसार रोकड़ बही का संधारण करने हेतु समस्त कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किये जावें ।

## निष्कर्ष


विगत पांच वर्षों के दौरान बकाया रहे कोष निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों का विवरण [चार्ट संख्या -6](#) में तथा वर्ष 2018-19 में पाये गये मुख्य आक्षेपों का विवरण [चार्ट संख्या 7](#) में दर्शाया गया है। बकाया आक्षेपों की शीघ्र अनुपालना एवं भविष्य में आक्षेपों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आवश्यक सुधार अपेक्षित हैं।

(चार्ट संख्या 6)

वित्तीय वर्ष के अंत में विगत पाँच वर्षों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों का तुलनात्मक विवरण



**कोषालयों में वर्ष 2018-19 के दौरान पाये गये मुख्य आक्षेप एक नजर में**



## परिशिष्ट संख्या - 1

(संदर्भ पैरा संख्या - 1.1)

### राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों एवं उपकोषालयों की सूची

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
1.	अजमेर	अजमेर	1. केकड़ी	9
			2. किशनगढ़	
			3. सरवाड़	
			4. नसीराबाद	
			5. पीसांगन	
			6. भिनाय	
			7. अजमेर (पेंशन)	
			8. पुष्कर	
			9. रुपनगढ़	
2.	अजमेर	ब्यावर	10. मसूदा	1
3.	अलवर	अलवर	11. बहरोड़	14
			12. किशनगढ़बास	
			13. लक्ष्मणगढ़	
			14. राजगढ़	
			15. थानागाजी	
			16. बानसूर	
			17. मण्डावर	
			18. तिजारा	
			19. रामगढ़	
			20. कठूमर	
			21. कोटकासिम	
			22. अलवर (पेंशन)	
			23. रैणी	
			24. नीमराणा	
4.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	25. बागीदौरा	6
			26. कुशलगढ़	
			27. गढी (परतापुर)	
			28. घाटोल	
5.	बाडमेर	बाडमेर	29. चौहटन	7
			30. सिवाना	
			31. शिव	
			32. गुढामलानी	
			33. बायतु	
			34. रामसर	
6.	भरतपुर	भरतपुर	35. पचपदरा	11
			36. बयाना	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			37. डीग	
			38. नदबई	
			39. भरतपुर (पेंशन)	
			40. कामां	
			41. नगर	
			42. रुपवास	
			43. वैर	
			44. कुम्हेर	
			45. पहाड़ी	
			46. भुसावर	
7.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	47. हुरड़ा	11
			48. सहाड़ा (मु. गंगापुर)	
			49. माण्डल	
			50. माण्डलगढ़	
			51. शाहपुरा	
			52. आसीन्द	
			53. जहाजपुर	
			54. कोटड़ी	
			55. बनेड़ा	
			56. रायपुर	
			57. बिजौलिया	
8.	बीकानेर	बीकानेर	58. कोलायत	8
			59. लूणकरणसर	
			60. खजूवाला	
			61. नोखा	
			62. बीकानेर (पेंशन)	
			63. पूगल	
			64. श्रीडूंगरगढ़	
			65. छत्तरगढ़	
9.	बूंदी	बूंदी	66. हिण्डोली	5
			67. नैनवा	
			68. केशोरायपाटन	
			69. इन्द्रगढ़	
			70. तालेडा	
10.	बारां	बारां	71. छबड़ा	7
			72. शाहबाद	
			73. अटरु	
			74. छीपाबड़ौद	
			75. किशनगंज	
			76. मांगरोल	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			77. अन्ता	
11.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	78. बेगू	9
			79. निम्बाहेड़ा	
			80. कपासन	
			81. भदेसर	
			82. गंगरार	
			83. राशमी	
			84. रावतभाटा	
			85. बड़ीसादड़ी	
			86. डूंगला	
12.	चुरु	चुरु	87. रतनगढ़	6
			88. सादुलपुर(मु.राजगढ़)	
			89. सरदारशहर	
			90. तारानगर	
			91. सुजानगढ़	
			92. बीदासर	
13.	दौसा	दौसा	93. बसवा	4
			94. लालसोट	
			95. सिकराय	
			96. महवा	
14.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	97. आसपुर	4
			98. सागवाड़ा	
			99. सीमलवाड़ा	
			100. बिच्छीवाड़ा	
15.	धौलपुर	धौलपुर	101. बाड़ी	4
			102. राजाखेड़ा	
			103. बसेड़ी	
			104. सेपड	
16.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	105. अनूपगढ़	8
			106. करणपुर	
			107. रायसिंहनगर	
			108. सूरतगढ़	
			109. पदमपुर	
			110. श्रीविजयनगर	
			111. सार्दुलशहर	
			112. घड़साना	
17.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	113. नोहर	6
			114. संगरिया	
			115. भादरा	
			116. रावतसर	



क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			117. पीलीबंगा	
			118. टिब्बी	
18.	जयपुर	जयपुर (शहर)	119. राजस्थान विधानसभा	1
19.	जयपुर	जयपुर (ग्रामीण)	120. आमेर	14
			121. चौमू	
			122. चाकसू	
			123. कोटपूतली	
			124. मौजमाबाद	
			125. शाहपुरा	
			126. विराटनगर	
			127. जमवारामगढ	
			128. फागी	
			129. सांभर	
			130. सांगानेर	
			131. बस्सी	
			132. वृद्धावस्था पेंशन, जयपुर	
			133. दूदू	
20.	जयपुर	जयपुर (सचिवालय)	-	0
21.	जयपुर	पेंशन भुगतान अधिकारी, जयपुर	-	0
22.	जैसलमेर	जैसलमेर	134. पोकरण	2
			135. फतेहगढ	
23.	जालौर	जालौर	136. भीनमाल	6
			137. सांचोर	
			138. आहोर	
			139. रानीवाड़ा	
			140. बागौड़ा	
			141. सायला	
24.	झालावाड़	झालावाड़	142. अकलेरा	7
			143. पचपहाड़	
			144. गंगधार	
			145. झालरापाटन	
			146. खानपुर	
			147. पिडावा	
			148. मनोहरथाना	
25.	झुन्झुनू	झुन्झुनू	149. चिड़ावा	8
			150. खेतड़ी	
			151. उदयपुरवाटी	
			152. नवलगढ	
			153. झुन्झुनू (पेंशन)	
			154. बुहाना	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			155. मलसीसर	
			156. सूरजगढ	
26.	जोधपुर	जोधपुर (शहर)	-	0
27.	जोधपुर	जोधपुर (ग्रामीण)	157. बिलाड़ा	9
			158. औंसियां	
			159. शेरगढ	
			160. फलौदी	
			161. भोपालगढ	
			162. लूणी	
			163. बावडी	
			164. बाप	
			165. बालेसर	
28.	कोटा	कोटा	166. दिगोद	5
			167. सांगोद	
			168. पीपल्दा	
			169. रामगंजमण्डी	
			170. कोटा (पेंशन)	
29.	नागौर	नागौर	171. डीडवाना	13
			172. मेड़ता	
			173. नावां	
			174. मकराना	
			175. परबतसर	
			176. डेगाना	
			177. जायल	
			178. लाडनूं	
			179. खींवसर	
			180. नागौर (पेंशन)	
			181. रियाबडी	
			182. कुचामनसिटी	
			183. मुण्डवा	
30.	प्रतापगढ	प्रतापगढ	184. छोटीसादड़ी	4
			185. अरनोद	
			186. धरियावद	
			187. पीपलखूँट	
31.	पाली	पाली	188. बाली	9
			189. देसूरी	
			190. जैतारण	
			191. सोजत	
			192. खारची	
			193. रायपुर	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			194. रोहट	
			195. रानी	
			196. सुमेरपुर	
32.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	197. बामनवास	6
			198. गंगापुरसिटी	
			199. खण्डार	
			200. बाँली	
			201. चौथ का बरवाडा	
			202. मलारनाइंगर	
33.	करौली	करौली	203. हिण्डौन	6
			204. नादौती	
			205. टोडाभीम	
			206. सपोटरा	
			207. मण्डरायल	
			208. मासलपुर	
34.	सीकर	सीकर	209. दांतारामगढ	7
			210. फतेहपुर	
			211. लक्ष्मणगढ	
			212. नीमकाथाना	
			213. श्रीमाधोपुर	
			214. सीकर (पेंशन)	
			215. खण्डेला	
35.	सिरोही	सिरोही	216. आबूरोड	4
			217. पिण्डवाड़ा	
			218. रेवदर	
			219. शिवगंज	
36.	टोंक	टोंक	220. देवली	6
			221. मालपुरा	
			222. निवाई	
			223. टोडारायसिंह	
			224. उनियारा (अलीगढ)	
			225. पीपलू	
37.	उदयपुर	उदयपुर	-	0
38.	उदयपुर	उदयपुर (ग्रामीण)	226. खैरवाड़ा	10
			227. मावली	
			228. सलूम्बर	
			229. वल्लभनगर	
			230. झाडोल (फलासिया)	
			231. गोगुन्दा	
			232. सराड़ा	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			233. कोटड़ा	
			234. लसाड़िया	
			235. ऋषभदेव	
39.	राजसमंद	राजसमंद	236. कुम्भलगढ	6
			237. नाथद्वारा	
			238. आमेट	
			239. देवगढ	
			240. रेलमगरा	
			241. भीम	
40.	नई दिल्ली	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	-	0
41.	जयपुर	ई-कोषालय, जयपुर	-	0
योग				241

## परिशिष्ट संख्या - 2

(संदर्भ पैरा संख्या - 1.1)

### राजस्थान राज्य के जिला मुख्यालयों पर कार्यरत कोषालयों के अतिरिक्त अन्य कोषालयों की सूची

क्र.सं.	जिला	मुख्य कोषालय का नाम	क्र.सं.	अतिरिक्त कोषालय
1.	अजमेर	अजमेर	1	ब्यावर
2.	जयपुर	जयपुर (शहर)	2	जयपुर (सचिवालय)
			3	जयपुर (ग्रामीण)
			4	जयपुर (पीपीओ)
			5	ई-कोषालय
3	जोधपुर	जोधपुर (शहर)	6	जोधपुर (ग्रामीण)
4	उदयपुर	उदयपुर	7	उदयपुर (ग्रामीण)

## परिशिष्ट संख्या - 3

(संदर्भ पैरा संख्या - 1.1 एवं 3.1)

### वर्ष 2018-19 में निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उप कोषालयों की सूची

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	उप कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि
1	अजमेर	-	-	05/2017 से 03/2018
		1	किशनगढ़	05/2017 से 03/2018
		2	केकड़ी	05/2017 से 03/2018
		3	पुष्कर	04/2016 से 03/2018
		4	सरवाड़	04/2016 से 03/2018
		5	भीनाय	04/2016 से 03/2018
		6	रूपनगढ़	04/2016 से 03/2018
		7	पीसांगन	04/2016 से 03/2018
		8	अजमेर(पेंशन)	04/2016 से 03/2018
2	अलवर	-	-	08/2017 से 06/2018
		9	नीमराना	प्रारम्भ से 06/2018
		10	बहरोड़	08/2017 से 06/2018
		11	कोटकासिम	07/2016 से 06/2018
		12	लक्ष्मणगढ़	08/2017 से 06/2018
		13	रैणी	प्रारम्भ से 06/2018
3	ब्यावर	-	-	08/2017 से 07/2018
		14	मसूदा	05/2016 से 07/2018
4	बाड़मेर	-	-	02/2018 से 01/2019
		15	चौहटन	02/2018 से 01/2019
		16	सिवाना	02/2018 से 01/2019
		17	गुढामलानी	02/2018 से 01/2019
		18	बायतू	02/2018 से 01/2019
		19	पचपदरा	02/2018 से 01/2019
		20	रामसर	01/2017 से 01/2019
		21	शिव	01/2017 से 01/2019
5	बारां	-	-	12/2017 से 10/2018
		22	शाहबाद	10/2016 से 10/2018
		23	अंता	10/2016 से 10/2018
		24	छबड़ा	10/2016 से 10/2018
6	बांसवाडा	-	-	05/2017 से 03/2018
		25	घाटौल	05/2017 से 03/2018
		26	कुशलगढ़	05/2017 से 03/2018
		27	बागीदौरा	05/2017 से 03/2018
		28	गढी (परतापुर)	05/2017 से 03/2018
7	बीकानेर	-	-	10/2017 से 07/2018
		29	कोलायत	10/2016 से 07/2018
		30	नोखा	10/2016 से 07/2018
		31	श्री झूगरगढ़	10/2016 से 07/2018
		32	लूणकरनसर	10/2016 से 07/2018
8	बून्दी	-	-	05/2017 से 04/2018
		33	तालेड़ा	प्रारम्भ से 04/2018

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	उप कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि
		34	केशोरायपाटन	05/2017 से 04/2018
9	भरतपुर	-	-	01/2018 से 10/2018
		35	भुसावर	प्रारम्भ से 10/2018
		36	वैर	11/2016 से 10/2018
		37	बयाना	11/2016 से 10/2018
		38	रूपवास	11/2016 से 10/2018
		39	कुम्हेर	11/2016 से 10/2018
		40	डीग	11/2016 से 10/2018
		41	कामां	11/2016 से 10/2018
		42	पहाड़ी	11/2016 से 10/2018
		43	नदबई	11/2016 से 10/2018
		44	नगर	11/2016 से 10/2018
10	भीलवाड़ा	-	-	07/2017 से 06/2018
		45	कोटड़ी	04/2016 से 06/2018
		46	सहाड़ा	04/2016 से 06/2018
		47	बनेड़ा	04/2016 से 06/2018
		48	रायपुर	04/2016 से 06/2018
		49	बिजौलिया	04/2016 से 06/2018
11	चित्तौड़गढ़	-	-	01/2018 से 12/2018
		50	गंगरार	01/2017 से 12/2018
		51	बेगूं	01/2017 से 12/2018
		52	भदेसर	01/2017 से 12/2018
		53	डूंगला	01/2017 से 12/2018
		54	बड़ीसादड़ी	01/2017 से 12/2018
		55	राशमी	01/2017 से 12/2018
12	चुरू	-	-	04/2017 से 03/2018
		56	रतनगढ़	04/2017 से 03/2018
		57	सुजानगढ़	04/2017 से 03/2018
		58	बीदासर	प्रारम्भ से 03/2018
13	डूंगरपुर	-	-	08/2017 से 06/2018
		59	सागवाडा	08/2017 से 06/2018
14	दौसा	-	-	04/2017 से 05/2018
15	धौलपुर	-	-	12/2017 से 11/2018
		60	बाड़ी	09/2016 से 11/2018
		61	बसेड़ी	09/2016 से 11/2018
		62	राजाखेड़ा	09/2016 से 11/2018
16	श्रीगंगानगर	-	-	04/2017 से 03/2018
		63	सूरतगढ़	04/2017 से 03/2018
17	हनुमानगढ़	-	-	10/2017 से 09/2018
18	जयपुर (शहर)	-	-	06/2017 से 05/2018
19	जयपुर (सचिवालय)	-	-	06/2017 से 05/2018
20	जयपुर (पेंशन)	-	-	06/2017 से 05/2018
21	जयपुर (ग्रामीण)	-	-	07/2017 से 04/2018
		64	चौमू	07/2017 से 04/2018
		65	कोटपुतली	07/2017 से 04/2018
		66	विराटनगर	07/2016 से 04/2018

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	उप कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि
		67	दूदू (मौजमाबाद)	प्रारम्भ से 04/2018
		68	सांभर	07/2017 से 04/2018
		69	वृद्धावस्था पेंशन	07/2016 से 04/2018
22	जालौर	-	-	01/2018 से 12/2018
23	जैसलमेर	-	-	11/2017 से 09/2018
		70	पोकरण	11/2017 से 09/2018
24	जोधपुर (शहर)	-	-	12/2017 से 09/2018
25	जोधपुर (ग्रामीण)	-	-	02/2018 से 12/2018
		71	लूणी	02/2017 से 12/2018
		72	बावड़ी	02/2017 से 12/2018
		73	बालेसर	प्रारम्भ से 12/2018
		74	औसियां	02/2018 से 12/2018
		75	फलोदी	02/2018 से 12/2018
		76	बाप	प्रारम्भ से 12/2018
26	झालावाड	-	-	11/2017 से 09/2018
		77	गंगधार	05/2016 से 09/2018
		78	पिड़ावा	05/2016 से 09/2018
27	झुन्झुन्	-	-	03/2018 से 01/2019
		79	उदयपुरवाटी	01/2017 से 01/2019
		80	नवलगढ़	01/2017 से 01/2019
		81	चिड़ावा	01/2017 से 01/2019
		82	बुहाना	01/2017 से 01/2019
		83	खेतड़ी	01/2017 से 01/2019
28	करौली	-	-	11/2017 से 09/2018
		84	नादौती	06/2016 से 09/2018
		85	हिण्डौन	11/2017 से 09/2018
		86	मण्डरायल	06/2016 से 09/2018
		87	मासलपुर	प्रारम्भ से 09/2018
29	कोटा	-	-	02/2018 से 01/2019
30	नागौर	-	-	10/2017 से 07/2018
		88	परबतसर	10/2016 से 07/2018
		89	कुचामन सिटी	प्रारम्भ से 07/2018
		90	लाडनू	10/2016 से 07/2018
		91	नावां शहर	10/2016 से 07/2018
		92	मकराना	10/2016 से 07/2018
		93	डेगाना	10/2016 से 07/2018
		94	जायल	10/2016 से 07/2018
		95	मूंडवा	प्रारम्भ से 07/2018
31	प्रतापगढ़	-	-	03/2018 से 01/2019
		96	छोटीसादड़ी	02/2017 से 01/2019
		97	धरियावद	02/2017 से 01/2019
		98	पीपलखूंट	02/2017 से 01/2019
		99	अरनोद	02/2017 से 01/2019
32	पाली	-	-	01/2018 से 12/2018
		100	रायपुर	01/2017 से 12/2018

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	उप कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि
		101	सुमेरपुर	01/2017 से 12/2018
		102	देसूरी	01/2017 से 12/2018
		103	रानी	01/2017 से 12/2018
		104	रोहट	01/2017 से 12/2018
33	राजसमंद	-	-	09/2017 से 06/2018
		105	नाथद्वारा	04/2016 से 06/2018
		106	भीम	04/2016 से 06/2018
34	सवाई माधोपुर	-	-	10/2017 से 08/2018
35	सिरोही	-	-	07/2017 से 05/2018
36	सीकर	-	-	06/2017 से 04/2018
		107	दांतारामगढ़	07/2016 से 04/2018
		108	लक्ष्मणगढ़	07/2016 से 04/2018
		109	फतेहपुर	07/2016 से 04/2018
		110	नीम का थाना	07/2016 से 04/2018
37	टोंक	-	-	12/2017 से 10/2018
		111	निवाई	10/2016 से 10/2018
		112	मालपुरा	10/2016 से 10/2018
		113	टोडारायसिंह	10/2016 से 10/2018
		114	देवली	10/2016 से 10/2018
38	उदयपुर	-	-	12/2017 से 11/2018
39	उदयपुर (ग्रामीण)	-	-	09/2017 से 07/2018
		115	सराड़ा	08/2016 से 07/2018
		116	खैरवाड़ा	08/2016 से 07/2018
		117	सलूम्बर	08/2016 से 07/2018
		118	गोगुन्दा	08/2016 से 07/2018
		119	झाडौल	08/2016 से 07/2018
		120	वल्लभनगर	08/2016 से 07/2018
		121	मावली	08/2016 से 07/2018
40	ई-कोषालय, जयपुर	-	-	03/2018 से 02/2019
41	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	-	-	12/2017 से 11/2018



## परिशिष्ट संख्या - 4

(संदर्भ पैरा संख्या - 1.2)

### राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों/उप कोषालयों में कार्यरत कम्प्यूटर प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों संबंधी सूचना

क्र.सं.	कोषालयका नाम	कोषालय/उप कोषालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पद	कोषालय/उप कोषालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	अप्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	टिप्पणी
1.	अजमेर	99	74	66	08	अप्रशिक्षित सभी 08 च.श्रे.क. हैं ।
2.	अलवर	119	91	75	16	अप्रशिक्षित में 11 च.श्रे.क. 03 वरिष्ठ सहायक एवं 02 प्रशासनिक अधिकारी हैं ।
3.	ब्यावर	36	14	11	03	अप्रशिक्षित सभी 03 च.श्रे.क. हैं ।
4.	बाड़मेर	82	54	50	04	अप्रशिक्षित सभी 04 च.श्रे.क. हैं ।
5.	बारां	69	33	29	04	अप्रशिक्षित सभी 04 च.श्रे.क. हैं ।
6.	बांसवाड़ा	52	24	24	0	-
7.	बीकानेर	88	60	55	05	-
8.	बूंदी	50	30	30	0	-
9.	भरतपुर	103	85	44	41	अप्रशिक्षित में से 08 च.श्रे.क. हैं ।
10.	भीलवाड़ा	89	54	44	10	-
11.	चित्तौड़गढ़	69	42	42	0	-
12.	चूरू	66	55	48	07	अप्रशिक्षित सभी 07 च.श्रे.क. हैं ।
13.	दौसा	46	40	34	06	अप्रशिक्षित सभी 06 च.श्रे.क. हैं ।
14.	डूंगरपुर	44	28	26	02	-
15.	धौलपुर	56	36	36	0	-
16.	श्रीगंगानगर	72	58	33	25	-
17.	हनुमानगढ़	54	50	50	0	-
18.	जयपुर (शहर)	65	61	58	03	-
19.	जयपुर (ग्रामीण)	121	103	86	17	-
20.	जयपुर (सचिवालय)	42	40	36	04	अप्रशिक्षित केवल 01 है तथा 03 संविदा कर्मचारी है।
21.	जयपुर (पेंशन)	49	32	15	17	अप्रशिक्षित में से 03 च.श्रे.क. हैं ।
22.	जैसलमेर	40	23	19	4	-
23.	जालौर	61	28	28	0	-
24.	जोधपुर (शहर)	38	32	31	01	-

क्र.सं.	कोषालयका नाम	कोषालय/उप कोषालय में अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्वीकृत पद	कोषालय/उप कोषालय में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	प्रशिक्षित अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	अप्रशिक्षित अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	टिप्पणी
25.	जोधपुर (ग्रामीण)	82	65	64	01	
26.	झालावाड़	70	38	32	06	अप्रशिक्षित सभी 06 च.श्रे.क. हैं ।
27.	झुन्झुनू	64	61	61	0	-
28.	करौली	50	26	26	0	-
29.	कोटा	62	46	46	0	-
30.	नागौर	86	80	80	0	-
31.	प्रतापगढ़	54	21	15	06	अप्रशिक्षित सभी 06 सहायक कर्मचारी हैं ।
32.	पाली	79	51	44	7	अप्रशिक्षित सभी 07 सहायक कर्मचारी हैं ।
33.	राजसमंद	55	42	42	0	-
34.	सवाई माधोपुर	55	52	52	0	-
35.	सीकर	75	58	52	06	-
36.	सिरोही	44	30	25	05	-
37.	टोंक	64	45	40	05	अप्रशिक्षित में से 04 च.श्रे.क. हैं ।
38.	उदयपुर (शहर)	41	33	33	0	-
39.	उदयपुर (ग्रामीण)	77	46	46	0	-
40.	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	07	06	06	0	-
41.	ई- कोषालय जयपुर	20	19	15	04	-
योग		2595	1866	1649	217	

## परिशिष्ट संख्या - 5

(संदर्भ पैरा संख्या -2.1.1)

### कोषालयों द्वारा मासिक लेखों को विलम्ब से प्रस्तुत करने का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	लेखा माह	प्रथम सूची (I) / द्वितीय सूची(II)	लेखे प्राप्त होने की निर्धारित तिथि	विलम्ब के दिन	लेखे प्राप्त होने की वास्तविक तिथि
1	बाड़मेर	05/2018	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	01	18.05.18
		08/2018	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	03	20.08.18
		11/2018	द्वितीयसूची(II)	आगामी माह की 5 से 8 तारीख	02	10.12.18
		01/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	01	18.01.19
		02/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	01	18.02.19
2	चित्तौड़गढ़	11/2018	द्वितीयसूची(II)	आगामी माह की 5 से 8 तारीख	02	10.12.18
3	जयपुर (शहर)	07/2018	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	10	27.07.18
		07/2018	द्वितीयसूची(II)	आगामी माह की 5 से 8 तारीख	12	20.08.18
		08/2018	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	07	24.08.18
4	करौली	02/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	01	18.02.19
5	राजसमंद	01/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	01	18.01.19
6	सवाईमाधोपुर	08/2018	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	03	20.08.18
		02/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	01	18.02.19
7	टोंक	02/2019	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	01	18.02.19
8	उदयपुर(ग्रामीण)	05/2018	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	01	18.05.18
		08/2018	प्रथम सूची (I)	उसी माह की 13 से 17 तारीख	03	20.08.18
		योग	प्रथम सूची (I)	13 मासिक लेखों के प्रकरण		1 से 10 दिन
		योग	द्वितीय सूची(II)	03 मासिक लेखों के प्रकरण		2 से 12 दिन
		प्रथम सूची एवं द्वितीय सूची में विलम्ब होने वाले माहों का योग		16		

## परिशिष्ट संख्या - 6

(संदर्भ पैरा संख्या -2.1.3)

### कोषालयों से प्राप्त हिसाब शोधन पत्रों की संख्या

क्र.सं.	कोषालय का नाम	प्राप्त हिसाब शोधन पत्रों की संख्या	क्र.सं.	कोषालय का नाम	प्राप्त हिसाब शोधन पत्रों की संख्या
1	अजमेर	27	22	जालौर	16
2	अलवर	8	23	जैसलमेर	4
3	ब्यावर	8	24	जोधपुर (शहर)	6
4	बाड़मेर	4	25	जोधपुर (ग्रामीण)	1
5	बांसवाड़ा	1	26	झालावाड़	10
6	बारां	8	27	झुन्झुनू	14
7	बून्दी	8	28	कोटा	12
8	बीकानेर	6	29	करौली	9
9	भरतपुर	7	30	नागौर	21
10	भीलवाड़ा	15	31	पाली	24
11	चित्तौड़गढ़	29	32	प्रतापगढ़	4
12	चूरू	1	33	राजसमन्द	20
13	दौसा	11	34	सवाई माधोपुर	3
14	धौलपुर	2	35	सिरोही	2
15	झूगरपुर	3	36	सीकर	5
16	श्रीगंगानगर	5	37	टोंक	11
17	हनुमानगढ़	9	38	उदयपुर	18
18	जयपुर (सचिवालय)	13	39	उदयपुर (ग्रामीण)	3
19	जयपुर (शहर)	24	40	ई-कोषालय, जयपुर	44
20	जयपुर (ग्रामीण)	7	41	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	0
21	जयपुर (पेंशन)	1		योग	424

## परिशिष्ट संख्या - 7

(संदर्भ पैरा संख्या -2.1.4.2)

### लेखा शीर्ष 8782-102 " लोक निर्माण प्रेषण" के बकाया चैक्स व चालानों का विवरण

क्र. सं.	कोषालय का नाम	खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782- 102-01 चालान राशि ₹		8782- 102-02 चैक्स राशि ₹	
			धनात्मक	ऋणात्मक	धनात्मक	ऋणात्मक
1	अजमेर	19	0	10406627.21	0	31410163.22
2	अलवर	15	18404304.88	0	26724555.19	0
3	बांसवाड़ा	20	854313.51	0	14781851.91	0
4	बारां	15	0	17925145.88	31631438.29	0
5	बाड़मेर	22	12693978.15	0	16455373.13	0
6	ब्यावर	4	0	5089099.17	0	173969.22
7	भरतपुर	16	3927422.64	0	66816961.19	0
8	भीलवाड़ा	20	0	65761255.42	25880268.02	0
9	बीकानेर	45	0	51032849.25	22148972.46	0
10	बून्दी	15	4023780.38	0	14211074.22	0
11	चित्तौड़गढ़	13	36382418.65	0	0	27187480.16
12	चूरू	21	0	25042335.90	21949280.17	0
13	दौसा	8	0	14257241.27	26025331.26	0
14	धौलपुर	9	3174972.05	0	8993650.57	0
15	डूंगरपुर	11	0	326179.50	7144910.97	0
16	श्री गंगानगर	25	7932583.67	0	0	9982324.45
17	हनुमानगढ़	25	0	15485116.69	0	4490321.79
18	जयपुर (शहर)	40	90711315.59	0	162503741.80	0
19	जयपुर (ग्रामीण)	11	2981997.02	0	0	13227313.03
20	जयपुर (सचिवालय)	2	2110813.00	0	0	3059452.00
21	जैसलमेर	32	3246062.68	0	40111601.55	0
22	जालौर	21	17214984.79	0	25472365.32	0
23	झालावाड़	24	11760963.27	0	0	245797.77
24	झुन्झुनू	8	1879374.01	0	5930558.55	0
25	जोधपुर (शहर)	24	1382497997.00	0	110870345.40	0
26	जोधपुर (ग्रामीण)	16	0	9000161.52	40096919.04	0
27	करौली	9	5351596.39	0	21444213.92	0
28	कोटा	27	4520069.67	0	20369118.00	0
29	नागौर	22	0	1486068.02	0	26403292.16
30	पाली	14	60755155.27	0	53215816.27	0
31	प्रतापगढ़	10	0	7333399.19	11289211.45	0
32	राजसमंद	11	0	16749223.27	28453966.63	0
33	सवाई माधोपुर	11	0	18893646.92	14598698.82	0
34	सीकर	13	0	6679575.62	0	4086019.12

क्र. सं.	कोषालय का नाम	खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782- 102-01 चालान राशि ₹		8782- 102-02 चैक्स राशि ₹	
			धनात्मक	ऋणात्मक	धनात्मक	ऋणात्मक
35	सिरोही	7	7223666.53	0	2922321.03	0
36	टोंक	22	2870628.64	0	44885685.09	0
37	उदयपुर	16	55719141.95	0	4986895.88	0
38	उदयपुर (ग्रामीण)	7	3329237.49	0	0	3979900.35
39	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	1	0	3124477.00	11238.00	0
योग		651	1739566777.23	268592401.83	869926364.13	124246033.27

## परिशिष्ट संख्या - 8

(संदर्भ पैरा संख्या -2.1.5)

**लेखा शीर्ष "8675- रिजर्व बैंक जमा" (राज्य) के अन्तर्गत माह मार्च 2019 तक बकाया रहे अन्तरो का विवरण**

क्र.सं.	कोषालय का नाम	बैंक का नाम	माह	नामें राशि ₹	जमा राशि ₹
1	जयपुर (शहर)	भारतीय स्टेट बैंक, गोपालबाड़ी	10/2017	852	0
		भारतीय स्टेट बैंक, सोडाला	10/2017	11660	0
		भारतीय स्टेट बैंक, सोडाला	11/2017	37464	0
		भारतीय स्टेट बैंक, सोडाला	02/2018	19240	0
		भारतीय स्टेट बैंक, सोडाला	03/2018	29912	0
		भारतीय स्टेट बैंक, मुरलीपुरा	11/2018	362912	0
		भारतीय स्टेट बैंक, मुरलीपुरा	12/2018	4300000	0
		भारतीय स्टेट बैंक, मुरलीपुरा	01/2019	2551000	0
		भारतीय स्टेट बैंक, रामनगर	01/2019	8165094	0
2	जयपुर (सचिवालय)	भारतीय स्टेट बैंक, गांधीनगर	01/2019	5373	0
3	श्री गंगानगर	भारतीय स्टेट बैंक, मण्डी एरिया	03/2019	188232	0
4	बीकानेर	भारतीय स्टेट बैंक, भुजिया बाजार	02/2018	22500	0
		भारतीय स्टेट बैंक, जस्सूसर गेट	04/2018	93055	0
योग				15787294	0

## परिशिष्ट संख्या - 9

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.2)

निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने की तिथि से निर्धारित अवधि (2 माह) के बाद प्रथम अनुपालना रिपोर्ट विलम्ब से प्रेषित करने वाले / प्रेषित नहीं करने वाले वाले कोषालयों का विवरण

क्र. सं.	कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि	नि.प्र. जारी करने की दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्ति दिनांक	विलम्ब अवधि	
					माह	दिन
1	अजमेर	05/2017 से 03/2018	05.06.18	10.08.18	0	06
2	अलवर	08/2017 से 06/2018	31.08.18	10.12.18	01	11
3	ब्यावर	08/2017 से 07/2018	17.09.18	12.11.18	0	0
4	बाड़मेर	02/2018 से 01/2019	03.04.19	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
5	बारां	12/2017 से 10/2018	31.12.18	05.03.19	0	05
6	बांसवाड़ा	05/2017 से 03/ 2018	17.05.18	14.11.18	03	29
7	बीकानेर	10/2017 से 07/2018	23.10.18	11.06.19	05	20
8	बून्दी	05/2017 से 04/2018	05.07.18	20.02.19	05	16
9	भरतपुर	01/2018 से 10/2018	21.01.19	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
10	भीलवाड़ा	07/2017 से 06/2018	30.08.18	10.01.19	02	12
11	चित्तौड़गढ़	01/2018 से 12/2018	28.02.19	18.06.19	01	18
12	चूरू	04/2017 से 03/2018	16.05.18	18.07.18	0	03
13	झुंजरपुर	08/2017 से 06/2018	16.08.18	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
14	दौसा	04/2017 से 05/2018	10.07.18	17.09.18	0	08
15	धौलपुर	12/2017 से 11/2018	25.01.19	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
16	श्रीगंगानगर	04/2017 से 03/2018	28.05.18	06.09.18	01	10
17	हनुमानगढ़	10/2017 से 09/2018	13.11.18	04.04.19	02	23



क्र. सं.	कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि	नि.प्र. जारी करने की दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्ति दिनांक	विलम्ब अवधि	
					माह	दिन
18	जयपुर (शहर)	06/2017 से 05/2018	06.07.18	20.09.18	0	15
19	जयपुर (सचिवालय)	06/2017 से 05/2018	25.07.18	25.04.19	07	01
20	जयपुर (पेंशन)	06/2017 से 05/2018	27.07.18	05.02.19	04	09
21	जयपुर (ग्रामीण)	07/2017 से 04/2018	12.07.18	01.11.18	01	20
22	जालौर	01/2018 से 12/2018	04.02.19	18.03.19	0	0
23	जैसलमेर	11/2017 से 09/2018	16.11.18	14.02.19	01	0
24	जोधपुर (शहर)	12/2017 से 09/2018	20.11.18	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
25	जोधपुर (ग्रामीण)	02/2018 से 12/2018	07.03.19	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
26	झालावाड़	11/2017 से 09/2018	27.11.18	06.02.19	0	11
27	झुन्झुनू	03/2018 से 01/2019	05.04.19	27.06.19	0	23
28	करौली	11/2017 से 09/2018	29.11.18	18.03.19	01	21
29	कोटा	02/2018 से 01/2019	08.03.19	16.05.19	0	09
30	नागौर	10/2017 से 07/2018	24.10.18	07.02.19	01	15
31	प्रतापगढ़	03/2018 से 01/2019	03.04.19	30.05.19	0	0
32	पाली	01/2018 से 12/2018	28.02.19	09.05.19	0	09
33	राजसमंद	09/2017 से 06/2018	05.09.18	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
34	सवाई माधोपुर	10/2017 से 08/2018	18.10.18	07.03.19	02	21
35	सिरोही	07/2017 से 05/2018	11.07.18	02.01.19	03	22
36	सीकर	06/2017 से 04/2018	20.06.18	22.04.19	08	04
37	टोंक	12/2017 से 10/2018	03.01.19	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

क्र. सं.	कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि	नि.प्र. जारी करने की दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्ति दिनांक	विलम्ब अवधि	
					माह	दिन
38	उदयपुर	12/2017 से 11/2018	11.01.19	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
39	उदयपुर (ग्रामीण)	09/2017 से 07/2018	11.10.18	09.01.19	01	00
40	ई-कोषालय, जयपुर	03/2018 से 02/2019	10.04.19	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
41	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	12/2017 से 11/2018	21.01.19	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
प्रथम अनुपालना निर्धारित समय में प्रस्तुत करने वाले कोषालयों की संख्या					03	
प्रथम अनुपालना निर्धारित समय के बाद विलम्ब से प्रस्तुत करने वाले कोषालयों की संख्या					27	
प्रथम अनुपालना प्रस्तुत नहीं करने वाले कोषालयों की संख्या					11	
योग					41	

## परिशिष्ट संख्या -10

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.4.1)

उपादान भुगतान आदेशों में दर्शायी गई वसूलियों की कटौती नही करने से अधिक

### भुगतान का विवरण

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय/उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	जी.पी.ओ. संख्या	वसूली योग्य राशि ₹
1	अजमेर	पीसांगन	श्री हरदेव लाल चौधरी 1025653 (R)	3029642 (R)	76617
		केकड़ी	श्री मोती लाल 1062357 (R)	3086317 (R)	973
			श्री कैलाश चंद नाई 1062717 (R)	3086885 (R)	7165
2	भरतपुर	रूपवास	श्री शिवदत्त शर्मा 1081621 (R)	3123759(R)	28801
3	भीलवाड़ा	रायपुर	श्रीगोर्वधन लाल खटीक 1020564(R)	3022579(R)	1274
		बिजौलिया	श्रीमती संतोष मनी माथुर 1051224 (R)	3070393(R)	31711
4	जयपुर (ग्रामीण)	दूदू	कालूराम 1063705 (R)	3088944(R)	5268
5	चित्तौड़गढ़	बेगू	श्री मांगीलाल कलाल 1060699 (R)	3084314 (R)	13530
		डूंगला	श्री रामा रावत 1041091 (R)	3052118(R)	28895
		चित्तौड़गढ़	श्री राजेन्द्र सिंह 1088234 (R)	3138020(R)	7540
			श्रीमती रीना चक्रवती 1082234 (R)	3124721(R)	28216
			श्री कैलाश चन्द्र शर्मा 1084213 (R)	3129357(R)	7182
			श्री गिरधारी लाल ओड़ 1070963 (R)	3100390(R)	6156
6	चूरू	बीदासर	श्री ओम प्रकाश पंवार 1065145 (R)	3091727 (R)	31816
7	प्रतापगढ़	धरियावद	श्री रकबा मीना 1084359 (R)	3129742(R)	16382
			श्रीमती सीता 2012437(R)	3141312(R)	10158
8	पाली	रानी	श्री पर्वत सिंह राणावत 1080385 (R)	3121652 (R)	70774
9	झुन्झुनू	नवलगढ़	श्री हुकमा राम 1043405(R)	3133738 (R)	10126
10	सिरोही	सिरोही	सु श्री एश्वर्या नैनन 8100226 (R)	8300325(R)	9669

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय/उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	जी.पी.ओ. संख्या	वसूली योग्य राशि ₹
11	उदयपुर(ग्रामीण)	वल्लभनगर	श्री मोहम्मद सदीक 1056412 (R)	3078910(R)	29910
			श्री मंजुर अहमद 1060413 (R)	3083874(R)	177223
			श्री प्रभुलाल छीपा 1058657(R)	3081686(R)	28568
			श्री सज्जन सिंह शक्तावत 1063253(R)	3087694(R)	50465
			श्री सोहन सिंह 1063413 (R)	3088312(R)	2652
12	सीकर	फतेहपुर	श्रीमती ग्यारसी देवी 2005882 (R)	3050180(एस.एफ.)	2645
13	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	श्री सूरत सिंह 1066875(R)	3094182(R)	13397
			श्री प्रीतम सिंह 1069730(R)	3098124(R)	3609
14	टोंक	मालपुरा	श्री अशोक कुमार सैनी 2007438(R)	3068129(R)	81595
			श्री शम्भु सिंह शेखावत 1051505(R)	3070739(R)	47599
			श्री लल्लू प्रसाद सैन 1056298(R)	3078746(R)	17417
			श्री अब्दुल कलीम 1058576(R)	3081599(R)	8880
		टोड़ारायसिंह	श्री थोमस वर्गीज 1080672(R)	3122211(R)	24790
		देवली	श्री बन्नलाल वर्मा 1045494(R)	3060313(R)	157317
			श्रीमती गीता देवी 2008188(R)	3076954(R)	7425
			श्रीमती काली देवी 2008583(R)	3081140(R)	18355
			श्री दामोदर लाल 855763(R)	3100102(R)	7000
		<b>योग</b>			

## परिशिष्ट संख्या - 11

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.4.2)

### बैंक शाखाओं द्वारा राज्य पेंशनरों को किये गये अधिक भुगतान की राशि की एकमुश्त वसूली नहीं करने का विवरण

क्र.सं.	कोषालय / उप कोषालय का नाम	बैंक व शाखा का नाम	पेंशनर का नाम	पेंशन भुगतान आदेश संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹
1	चूरु	बैंक ऑफ बड़ौदा, छापर	अनसूया	632886(R)	59150
		भारतीय स्टेट बैंक, सालासर	हरिराम सारण	635766(R)	4650
			गोकुल सिंह	635655(R)	1182
		भारतीय स्टेट बैंक, छापर	मेघराज	648988(R)	117
		भारतीय स्टेट बैंक, सुजानगढ़	लखी	635504(R)	6100
			सरबती देवी	40042(R)	22938
			सुप्यार कुंवर	11696 (R)	22938
			पुरषोत्तम लाल	44315(R)	23715
योग					140790

## परिशिष्ट संख्या - 12

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.4.5)

### रूपांतरित पेंशन के रूप में सिविल पेंशनरों को अधिक/कम भुगतान

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय/ उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	कम भुगतान राशि ₹
1	अजमेर	केकड़ी	श्रीमती उमराव बैरवा 1051669 (R)	4049775 (R)	9099	0
2	डूंगरपुर	सागवाड़ा	श्रीमती राजेश्वरी रोट 1058277 (R)	4057152(R)	17287	0
		डूंगरपुर	श्री नाना 1066435(R)	4066070(R)	0	13951
			श्रीमती गीता उपाध्याय 1069364(R)	4069434(R)	0	36805
			श्रीमती रंजन बाला जैन 1069361(R)	4069428(R)	0	24466
3	राजसमंद	नाथद्वारा	श्री नन्द किशोर पुरोहित 1057046(R)	4055666(R)	3627	0
			श्री आनन्दी लाल 1037708(R)	4034214(R)	8721	0
			श्रीमती रानी जोशी 1044326(R)	4041594(R)	2845	0
4	जयपुर (पेंशन)	जयपुर (पेंशन)	श्री रामेश्वर 1063739(R)	4063073(R)	1878	0
			श्रीमती ग्रेसी थॉमस 1062164(R)	4061402(R)	11036	0
			श्री राजेश कुमार साईवाल 1048295(R)	4046067(R)	5589	0
			श्रीमती सुशीला माथुर 1051781(R)	4049901(R)	4296	0
<b>योग</b>					<b>64378</b>	<b>75222</b>

## परिशिष्ट संख्या - 13

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.4.6)

### पेंशन एरियर राशि में से आयकर (TDS)की कटौती नहीं करने का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	उप कोष/कोष	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. संख्या	एरियर राशि ₹	वसूली योग्य आयकर राशि ₹	आयकर कटौती की गई राशि ₹	बकाया आयकर राशि ₹
1	अजमेर	अजमेर(पेंशन)	श्री एस.पी. माथुर	175967(R)	603778	41979	0	41979
2	अलवर	बहरोड़	श्री दल्लिप सिंह यादव	1065981(R)	324312	1252	0	1252
3	ब्यावर	मसूदा	श्री हरि किशन बंजारा	1058371(R)	349878	2569	0	2569
		ब्यावर	श्री केशर सिंह	1068483(R)	756540	65722	47024	18698
4	बाड़मेर	बाड़मेर	श्री तेजाराम कोदेछा	1072167(R)	1240072	190057	166936	23121
5	बारां	छबड़ा	श्री अनिल कुमार अरोड़ा	1042838(R)	532314	16957	0	16957
			श्री जगदीश चंद लाड	1068222(R)	374339	3829	0	3829
6	बीकानेर	नोखा	श्रीमती उषा गुरेजा	1076969(R)	551952	21002	18403	2599
		श्री डूंगरगढ़	श्री शक्तिदान सिंह	1054329(R)	350666	2609	0	2609
7	भरतपुर	रूपवास	श्री सत्य नारायण शर्मा (जन्म तिथि 01.01.1960 से वरिष्ठ नागरिक नहीं के कारण टी.डी.एस. दर अलग है)	1077114(R)	389658	5182	0	5182
			श्री प्रेमपाल शर्मा	1064168(R)	391840	4730	0	4730
8	भीलवाड़ा	सहाड़ा (गंगापुर)	श्री मोती लाल गहलोत	1063500 (R)	1012930	117295	0	117295
		भीलवाड़ा	श्रीमती सरोज पारासर	1073248(R)	1551994	283866	277264	6602
9	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	श्री मुरलीधर मूंदड़ा	1070303(R)	678952	50223	0	50223
10	करौली	नादौती	श्री भरत लाल मीना	1030252(R)	405085	5674	0	5674
			श्री राम दयाल मीना	1053003(R)	355680	2868	0	2868
11	पाली	रायपुर	श्री रतन लाल	1050567(R)	1105648	145945	137640	8305
12	टोंक	टोड़ारायसिंह	श्री भंवर सिंह कविया	1059530(R)	503682	11058	10000	1058
		देवली	श्री मदन लाल रैगर	5034523(R)	601022	31110	0	31110
			श्रीमती ललिता एम.के.	1076930(R)	528717	9813	0	9813
योग						1013740	657267	356473

## परिशिष्ट संख्या - 14

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.4.7)

### कम्प्यूटर पर संधारित पेंशनर बैंक रजिस्टर में उत्पन्न मिस मैच मदों

#### (अधिक/कम भुगतान) का विवरण

क्र. सं.	कोषालय	पेंशन की श्रेणी	पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	पेंशनरों की संख्या	कम भुगतान राशि ₹	पेंशन बैंक रजिस्टर माह
1	अजमेर	सिविल पेंशन	53	245423	202	403283	2/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	103	355436	250	867877	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	02	6844	10	4581	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	6	34114	06	5865	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	0	0	19	10875	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	0	0	28	65872	
		ए.आई.एस. सिविल पेंशन	0	0	03	6366	
		ए.आई.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	01	2	
2	ब्यावर	सिविल पेंशन	36	85780	161	739899	07/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	25	48137	68	252238	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	0	0	02	15804	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	01	1898	03	13109	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	01	1118	11	58823	
		ए.आई.एस. सिविल पेंशन	01	2202	0	0	
3	बाड़मेर	सिविल पेंशन	1904	5775781	151	267241	01/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	990	1860620	144	355166	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	02	7703	0	0	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	16	33667	01	1434	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	50	98816	0	0	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	43	109522	17	65659	
4	बारां	सिविल पेंशन	24	63338	184	709276	10/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	07	2115	198	527593	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	05	4322	27	39711	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	08	9555	48	116567	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	0	0	09	48107	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	0	0	24	94126	
5	बांसवाड़ा	सिविल पेंशन	1516	4577916	3289	1713795	03/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	1149	2535450	1448	656754	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	99	279568	122	66140	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	74	206998	80	29821	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	20	43940	41	14472	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	28	84118	28	10740	



क्र. सं	कोषालय	पेंशन की श्रेणी	पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	पेंशनरों की संख्या	कम भुगतान राशि ₹	पेंशन चैक रजिस्टर माह
6	बून्दी	सिविल पेंशन	03	4468	38	56330	01/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	13	85937	51	324639	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	01	1471	05	6022	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	0	0	04	16163	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	0	0	01	466	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	0	0	04	18969	
7	भरतपुर	सिविल पेंशन	4946	17861900	467	1934282	10/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	2089	5975989	229	1059460	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	423	1444757	46	146711	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	161	477510	17	82185	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	151	362465	19	87383	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	92	171086	09	30250	
		खादी सिविल पेंशन	01	4266	0	0	
	एनपीएस पारिवारिक पेंशन	01	12477	02	19714		
8	भीलवाड़ा	सिविल पेंशन	85	133846	655	1996679	07/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	104	340248	548	1141761	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	04	1642	25	57059	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	05	5979	20	29338	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	01	2599	16	65150	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	03	9670	31	63780	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	01	2167	
		जज सिविल पेंशन	0	0	03	5904	
9	चित्तौड़गढ़	सिविल पेंशन	165	482629	230	1470587	10/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	82	336035	175	678515	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	09	26408	12	55884	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	0	0	10	20225	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	01	212	13	46282	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	02	11797	10	20864	
		जज सिविल पेंशन	0	0	01	313	
10	चूरू	सिविल पेंशन	1127	3324862	3596	1919277	Not Available
		सिविल पारिवारिक पेंशन	949	1864158	1800	897920	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	139	448894	218	112160	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	73	133701	100	52904	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	121	248790	197	65287	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	116	201087	121	40168	
11	झूंगरपुर	सिविल पेंशन	122	272863	397	1413957	6/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	85	324388	249	510207	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	01	2224	11	22777	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	06	10991	09	11638	

क्र. सं	कोषालय	पेंशन की श्रेणी	पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	पेंशनरों की संख्या	कम भुगतान राशि ₹	पेंशन चैक रजिस्टर माह
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	0	0	05	10602	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	01	9488	18	29459	
		एन.पी.एस. सिविल पेंशन	01	8349	01	6038	
12	दौसा	सिविल पेंशन	102	271568	317	1328282	5/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	75	265843	142	298292	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	03	7322	18	21360	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	01	1898	07	19309	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	0	0	01	178	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	01	9488	03	7671	
		एनपीएस पारिवारिक पेंशन	02	9849	0	0	
13	धौलपुर	सिविल पेंशन	165	470795	211	613437	11/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	106	311293	145	338998	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	12	13563	22	43009	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	15	65954	08	17130	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	05	11738	07	3451	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	13	32145	10	9772	
14	श्रीगंगानगर	सिविल पेंशन	239	730187	4938	2720445	4/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	336	709066	2325	1062932	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	15	35721	389	201809	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	24	45220	178	61702	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	10	19779	287	114751	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	21	33329	143	63935	
15	हनुमानगढ़	सिविल पेंशन	72	101355	234	596583	09/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	66	147978	205	777902	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	02	2313	06	11651	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	07	10766	09	21898	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	07	4028	14	5065	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	09	34155	29	77035	
16	जयपुर (पेंशन)	सिविल पेंशन	1436	6460121	1302	5041900	05/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	1259	4139626	937	3034606	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	40	385279	36	64967	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	50	154734	35	90272	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	74	203235	69	53771	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	151	664415	69	159630	
		खादी सिविल पेंशन	06	17245	08	2854	
		खादी पारिवारिक पेंशन	05	10509	06	13858	
		ए.आई.एस. सिविल पेंशन	36	272194	47	1117367	
		ए.आई.एस. पारिवारिक पेंशन	14	89434	36	505227	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	11	115214	03	11749	

क्र. सं	कोषालय	पेंशन की श्रेणी	पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	पेंशनरों की संख्या	कम भुगतान राशि ₹	पेंशन चैक रजिस्टर माह
17	जालौर	सिविल पेंशन	36	86122	65	261705	11/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	04	24659	50	228786	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	0	0	03	5820	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	0	0	01	1639	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	0	0	02	2045	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	01	1951	04	17184	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	01	1319	
18	जैसलमेर	सिविल पेंशन	91	237243	46	153782	06/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	115	261160	55	148010	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	04	6961	0	0	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	06	11764	03	586	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	0	0	08	22226	
19	जोधपुर (ग्रामीण)	सिविल पेंशन	1366	3888673	389	1429064	12/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	1182	2338168	1303	2351096	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	07	10375	20	28297	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	08	16995	07	22881	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	48	102061	43	43397	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	30	71370	35	100884	
		खादी सिविल पेंशन	01	1317	0	0	
		जज सिविल पेंशन	03	32546	08	71241	
		जज पारिवारिक पेंशन	0	0	02	4442	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	02	8022	
		ए.आई.ए.एस. सिविल पेंशन	0	0	02	7496	
		ए.आई.ए.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	01	6091	
20	झालावाड़	सिविल पेंशन	77	9877	122	321405	09/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	58	103034	120	283595	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	09	1566	19	135047	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	01	1898	10	45421	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	01	1	03	2811	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	0	0	07	20688	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	01	977	
जज सिविल पेंशन	0	0	01	2924			
21	झुन्झुनू	सिविल पेंशन	29	15506	608	668821	01/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	13	41858	100	228425	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	05	2365	104	117398	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	02	4186	18	41646	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	01	402	38	25464	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	0	0	01	10279	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	01	13	

क्र. सं	कोषालय	पेंशन की श्रेणी	पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	पेंशनरों की संख्या	कम भुगतान राशि ₹	पेंशन चैक रजिस्टर माह
22	करौली	सिविल पेंशन	07	19125	203	4162908	09/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	22	77140	78	182132	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	02	540	22	21224	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	02	3796	08	18487	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	0	0	02	11061	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	03	10281	04	3455	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	02	7243	
23	नागौर	सिविल पेंशन	2704	8246700	355	1462208	07/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	1545	3347479	210	692452	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	67	215571	07	19868	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	35	58514	05	8466	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	117	297242	06	8481	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	82	185657	10	45870	
		खादी सिविल पेंशन	0	0	02	10148	
		खादी पारिवारिक पेंशन	0	0	01	2	
		जज सिविल पेंशन	01	1054	0	0	
		एनपीएस पारिवारिक पेंशन	02	22902	01	5417	
24	प्रतापगढ़	सिविल पेंशन	180	782357	135	413719	01/19
		सिविल पारिवारिक पेंशन	101	295615	98	196952	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	06	45364	04	4188	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	06	17137	05	5421	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	08	20519	04	6571	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	12	30375	04	10544	
25	पाली	सिविल पेंशन	43	51884	486	1350852	12/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	80	237844	493	964669	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	01	268	05	14853	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	04	7732	16	51774	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	0	0	21	12760	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	0	0	41	74751	
		जज सिविल पेंशन	0	0	01	1500	
		जज पारिवारिक पेंशन	0	0	01	18066	
26	राजसमंद	सिविल पेंशन	3139	9528617	178	568257	06/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	1639	2823268	230	613441	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	138	399683	07	15017	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	91	154334	12	27018	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	84	173851	04	3444	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	41	75127	02	8920	
		खादी सिविल पेंशन	02	6863	0	0	
		खादी पारिवारिक पेंशन	01	1139	0	0	

क्र. सं	कोषालय	पेंशन की श्रेणी	पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	पेंशनरों की संख्या	कम भुगतान राशि ₹	पेंशन चैक रजिस्टर माह
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	01	2679	01	2346	
		जज सिविल पेंशन	0	0	03	5718	
27	सवाई माधोपुर	सिविल पेंशन	15	42247	146	248231	05/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	17	76095	150	313992	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	02	1902	24	31400	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	01	2132	18	33359	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	0	0	06	1335	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	01	1838	10	25241	
		खादी सिविल पेंशन	0	0	01	647	
28	सीकर	सिविल पेंशन	67	92427	6687	3672754	04/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	58	150301	3700	1826206	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	04	2848	474	270254	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	03	4814	263	96796	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	05	2824	185	70126	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	02	6581	124	52084	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	11	13858	
29	सिरोही	सिविल पेंशन	256	607050	38	50829	02/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	313	530544	109	156929	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	15	35764	01	2956	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	03	4217	05	13019	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	31	51785	07	14903	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	27	53606	15	38391	
		एआईएस सिविल	0	0	01	1378	
30	टोंक	सिविल पेंशन	60	174824	308	1162954	07/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	55	155394	178	403990	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	07	8632	03	6301	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	02	1607	05	3464	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	04	7578	09	4091	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	01	1150	12	47909	
		खादी पारिवारिक	01	1002	0	0	
31	उदयपुर (ग्रामीण)	सिविल पेंशन	2126	6318508	9964	6247267	04/18
		सिविल पारिवारिक पेंशन	1029	2439622	4170	5527781	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	40	117015	243	140577	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	29	66335	129	48379	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	47	94874	149	50391	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	47	142132	111	57346	
		ए.आई.एस. सिविल पेंशन	02	7151	04	15802	

## परिशिष्ट संख्या - 15

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.5.1)

सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की मृत्यु / पुनर्विवाह के पश्चात भुगतान की गई राशियों को संबंधित बैंक खातों से प्राप्त कर राजकोष में जमा नहीं कराने का विवरण

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोष / उप कोष का नाम	कुल प्रकरणों की संख्या	राशि ₹
1	अजमेर	अजमेर (पेंशन)	28	236000
		किशनगढ़	10	84000
		सरवाड़	05	39500
		केकड़ी	05	18000
		भिनाय	05	10500
		पीसांगन	05	20250
2	अलवर	बहरोड़	05	39750
		नीमराना	05	19750
		कोटकासिम	05	19750
		रैणी	03	2000
		लक्ष्मणगढ़	05	34500
3	ब्यावर	ब्यावर	04	11000
		मसूदा	07	29000
4	बाड़मेर	बाड़मेर	12	92750
		सिवाना	09	32250
		गुढामालानी	10	35000
		बायतु	11	47800
		चौहटन	08	30750
		रामसर	06	27000
		शिव	03	11000
5	बारां	बारां	04	6500
		अंता	06	21500
		शाहबाद	06	17500
		छबड़ा	06	24250
6	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	05	45250
		घाटोल	05	8250
		कुशलगढ़	05	29000
		गढ़ीपरतापुर	02	8250
7	बीकानेर	कोलायत	05	15500
		नोखा	05	36250
		श्री डूंगरगढ़	06	20250
		लूणकरणसर	05	34250
8	बून्दी	बून्दी	05	27250
		तालेड़ा	05	27000
		केशोरायपाटन	05	15500
9	भरतपुर	भुसावर	06	25500
		वैर	05	23500
		रूपवास	01	750

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोष / उप कोष का नाम	कुल प्रकरणों की संख्या	राशि ₹
		कुम्हेर	05	49250
		डीग	05	43750
		नदबई	05	31250
		नगर	05	33750
		कामां	05	36000
		पहाड़ी	04	22000
10	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	04	20000
		गंगापुर (सहाड़ा)	06	20000
		बनेड़ा	05	21750
		रायपुर	05	17500
11	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	05	11250
		गंगरार	05	20000
		बेगू	05	33000
		भदेसर	05	6000
		हंगला	05	6250
		बड़ीसादड़ी	05	29250
		राशमी	04	20250
12	चूरू	चूरू	06	37750
		रतनगढ़	10	57750
		सुजानगढ़	07	18500
		बीदासर	03	8000
13	दौसा	दौसा	10	56250
14	हूंगरपुर	हूंगरपुर	04	40500
		सागवाड़ा	04	33000
15	धौलपुर	धौलपुर	12	32000
		बाड़ी	06	30000
		बसेड़ी	02	11750
		राजाखेड़ा	05	24000
16	श्री गंगानगर	श्री गंगानगर	07	52250
		सूरतगढ़	04	8000
17	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	07	46500
18	जयपुर(ग्रामीण)	वृद्धावस्था पेंशन	10	42250
		विराटनगर	06	26500
		दूदू	04	12750
		सांभरलेक	04	29250
		चौमू	05	22750
		कोटपूतली	05	30250
19	जालौर	जालौर	04	42250
20	जोधपुर (ग्रामीण)	जोधपुर (ग्रामीण)	05	85050
		बाप	03	23250
		फलाँदी	05	96500
		औंसियां	05	101250
		बालेसर	05	32000
		बावड़ी	05	48000
		लूणी	02	10500

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोष / उप कोष का नाम	कुल प्रकरणों की संख्या	राशि ₹
21	जैसलमेर	जैसलमेर	05	29500
		पोकरण	03	10500
22	झालावाड़	झालावाड़	02	8250
		गंगधार	05	36000
		पिड़ावा	06	63750
23	झुन्झुनू	उदयपुरवाटी	02	22500
		नवलगढ़	02	41250
		चिड़ावा	04	44750
		बुहाना	04	53250
24	करौली	करौली	04	34250
		हिण्डौन	03	21750
		मण्डरायल	03	22500
		मासलपुर	02	17750
25	नागौर	परबतसर	03	36000
		लाड़नू	04	25500
		कुचामन सिटी	03	43750
		नावां शहर	05	36000
		मकराना	05	67250
		इंगाना	03	7000
		जायल	03	13500
		मूंडवा	03	2000
26	पाली	पाली	09	41250
		रायपुर	08	32250
		सुमेरपुर	08	32250
		देसूरी	08	23500
		रानी	08	51750
		रोहट	05	16000
27	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	02	6500
		छोटी सादड़ी	05	16000
		धरियावद	05	5000
		पीपलखूंट	05	39000
		अरनोद	05	8500
28	राजसमंद	राजसमंद	03	11250
		नाथद्वारा	04	30500
29	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	05	44500
30	सीकर	लक्ष्मणगढ़	06	67500
		दांतारामगढ़	06	58500
		फतेहपुर	06	57000
		नीम का थाना	06	75000
31	सिरोही	सिरोही	05	27750
32	टोंक	टोंक	03	3250
		निवाई	05	7250
		मालपुरा	05	23000
		टोड़ारायसिंह	05	39750



क्र.सं.	जिला कोषालय	कोष / उप कोष का नाम	कुल प्रकरणों की संख्या	राशि ₹
		देवली	05	17250
33	उदयपुर (ग्रामीण)	उदयपुर (ग्रामीण)	04	51000
		सराड़ा	05	33750
		खैरवाड़ा	05	31500
		सलूमबर	05	33500
		गोगुन्दा	05	63500
		झाड़ौल	05	34500
		वल्लभनगर	05	39250
		मावली	05	45250
		योग	721	4410600

### परिशिष्ट संख्या - 16

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.5.2)

### सामाजिक सुरक्षा पेंशन के एक से अधिक लाभार्थियों की पेंशन का एक ही बैंक खाते में अनियमित भुगतान का विवरण

क्र.सं.	जिला कोषालय का नाम	कोष / उप कोष का नाम	एक से अधिक पेंशनरों के भुगतान से संबंधित बैंक खातों के प्रकरणों की संख्या	पेंशनरों की संख्या	अनियमित भुगतान की राशि ₹
1	अजमेर	भिनाय	01	02	13750
		पीसांगन	01	02	13000
2	अलवर	नीमराना	02	04	29000
3	बाड़मेर	बायतु	04	08	22000
4	बारां	शाहबाद	01	02	39000
		छबड़ा	01	02	18000
5	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	01	02	10000
		गढ़ी परतापुर	01	02	8000
6	जयपुर (ग्रामीण)	विराटनगर	01	02	27000
7	जैसलमेर	पोकरण	02	04	26250
8	करौली	करौली	01	02	5500
		हिण्डौन	01	02	15000
		मण्डरायल	01	02	15000
9	राजसमंद	नाथद्वारा	01	02	14000
		वल्लभनगर	02	04	55750
		सराड़ा	04	08	81000
10	सीकर	दांतारामगढ़	02	04	33750
		फतेहपुर	01	02	11500
		नीम का थाना	01	02	15250
		योग	29	58	452750

परिशिष्ट संख्या - 17

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.5.3)

पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा अपात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृतियाँ जारी कर दिये जाने के कारण अनियमित भुगतान का विवरण

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनरों की संख्या	अनियमित भुगतान राशि ₹
1	अजमेर	सरवाड़	04	16000
		भिनाय	04	35000
		किशनगढ़	01	2000
		केकड़ी	01	3000
		अजमेर (पेंशन)	06	17000
2	अलवर	लक्षमणगढ़	05	35250
		बहरोड़	05	26250
		नीमराना	05	51000
		रैणी	05	36000
		कोटकासिम	05	35000
3	ब्यावर	ब्यावर	03	25000
		मसूदा	02	24000
4	बाड़मेर	शिव	03	33750
5	बारां	बारां	02	29000
		अंता	01	11000
		छबड़ा	02	21250
6	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	06	31000
		गढी(परतापुर)	05	35250
		घाटौल	03	15000
		बागीदौरा	04	19500
		कुशलगढ़	04	17000
7	बीकानेर	नोखा	04	56250
		श्री डूंगरगढ़	01	9750
		लूणकरनसर	2	32500
8	बूंदी	बूंदी	04	8500
		तालेड़ा	05	51500
		केशोरायपाटन	05	6250
9	भरतपुर	भुसावर	03	41000
		वैर	04	52000
		बयाना	05	47000
		रूपवास	01	12500
		कुम्हेर	04	32000
		डीग	02	26250
		नदबई	02	22500
		नगर	05	62500

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनरों की संख्या	अनियमित भुगतान राशि ₹
		पहाड़ी	04	40000
10	भीलवाड़ा	सहाड़ा	02	30000
		बनेड़ा	01	8500
11	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	05	45000
		गंगरार	05	46000
		बेगू	05	55250
		भदेसर	05	55500
		डूंगला	05	71750
		बड़ीसादड़ी	05	35500
		राश्मी	05	35250
12	चूरु	सुजानगढ़	04	15500
13	दौसा	दौसा	09	57250
14	डूंगरपुर	डूंगरपुर	05	36250
		सागवाड़ा	03	12500
15	धौलपुर	धौलपुर	05	37500
		बाड़ी	03	46000
		बसेड़ी	03	53750
		राजाखेड़ा	02	43500
16	श्रीगंगानगर	श्री गंगानगर	04	25750
		सूरतगढ़	02	9500
17	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	01	8500
18	जयपुर (ग्रामीण)	वृद्धावस्था पेंशन	13	139250
		विराटनगर	04	35000
		दूदू	01	8250
		सांभरलेक	06	32750
		चौमू	08	43500
		कोटपुतली	05	37750
19	जैसलमेर	पोकरण	05	38000
		जैसलमेर	05	18000
20	जालौर	जालौर	02	16000
21	जोधपुर (ग्रामीण)	जोधपुर (ग्रामीण)	06	59750
		फलौदी	03	30250
		लूणी	02	9500
		बावड़ी	03	20000
		बालेसर	03	23500
		औसियां	03	25500
22	झालावाड़	पिड़ावा	03	41500
23	झुन्झुनू	उदयपुरवाटी	03	25500
		नवलगढ़	04	21500

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनरों की संख्या	अनियमित भुगतान राशि ₹
		चिड़ावा	02	21000
		बुहाना	02	19500
		खेतड़ी	05	50500
24	करौली	करौली	05	48500
		नादौती	03	36000
		हिण्डौन	04	33000
		मण्डरायल	02	24000
		मासलपुर	02	17000
25	नागौर	परबतसर	03	30000
		कुचामनसिटी	03	44500
		लाडनू	03	35500
		नावां शहर	02	33750
		मकराना	03	39000
		डेगाना	03	46500
		जायल	02	29000
		मूंडवा	03	36500
26	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	05	48750
		अरनोद	05	54500
		छोटी सादड़ी	05	33250
		पीपलखूंट	05	42000
		धरियावद	05	31500
27	पाली	पाली	02	24750
		रायपुर	02	15500
		सुमेरपुर	05	54500
		रानी	01	20250
		रोहट	03	46250
28	राजसमंद	नाथद्वारा	03	34500
		भीम	03	36500
29	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	05	43250
30	सीकर	नीम का थाना	06	76500
		दांतारामगढ़	05	69500
		लक्ष्मणगढ़	04	55250
		फतेहपुर	05	47500
31	सिरोही	सिरोही	01	2250
32	टोंक	टोंक	05	37750
		निवाई	05	52250
		मालपुरा	05	75500
		टोड़ारायसिंह	05	60500
		देवली	05	53500
33	उदयपुर(ग्रामीण)	उदयपुर(ग्रामीण)	04	15000

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनरों की संख्या	अनियमित भुगतान राशि ₹
		सराड़ा	03	11000
		खैरवाड़ा	05	35750
		सलूमबर	05	38250
		गोगुन्दा	02	8000
		झाड़ौल	04	41500
		मावली	05	46000
		योग	455	4128750

### परिशिष्ट संख्या - 18

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.5.4)

### दोहरी स्वीकृतियां जारी करने के फलस्वरूप किये गये दोहरे भुगतान का विवरण

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय/उपकोषालय	पेंशनरों की संख्या	दोहरे भुगतान की राशि ₹
1	अजमेर	अजमेर (पेंशन)	01	2500
		पुष्कर	01	5250
		सरवाड़	02	4000
		भिनाय	01	3750
2	अलवर	नीमराना	02	7500
		कोटकासिम	01	2500
3	बाड़मेर	शिव	02	39000
		बायतु	03	7250
4	बारां	छबड़ा	01	9500
5	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	11	70500
		घाटौल	05	25000
		कुशलगढ़	04	19500
		बागीदौरा	05	28000
		गढ़ी परतापुर	05	25000
6	बीकानेर	कोलायत	01	1500
7	भरतपुर	रूपवास	02	11000
		कामां	02	26000
		नगर	03	55500
		डीग	05	56500
		कुम्हेर	01	12000
8	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	03	10500
		कोटड़ी	01	8500
9	डूंगरपुर	डूंगरपुर	04	19000
		सागवाड़ा	01	13500
10	जयपुर (ग्रामीण)	वृद्धावस्था पेंशन	02	5750
		चौमू	01	750

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय/उपकोषालय	पेंशनरों की संख्या	दोहरे भुगतान की राशि ₹
11	जोधपुर (ग्रामीण)	बावड़ी	01	22500
		बालेसर	02	41500
		औंसियां	01	23250
		बाप	06	128500
12	झुन्झुनू	उदयपुरवाटी	01	23250
		बुहाना	02	31000
13	करौली	करौली	02	40000
14	नागौर	कुचामन सिटी	01	8000
		लाडनू	01	6500
		जायल	01	8000
		मूंडवा	01	9750
15	पाली	सुमेरपुर	02	23000
16	राजसमंद	राजसमंद	01	7500
		नाथद्वारा	01	10000
17	सीकर	दांतारामगढ़	04	24750
		लक्ष्मणगढ़	01	3000
		फतेहपुर	01	2500
18	टोंक	टोड़ारायसिंह	01	10000
19	उदयपुर(ग्रामीण)	सराड़ा	03	33500
		सलूम्बर	02	9500
		झाड़ील	01	12000
		वल्लभनगर	02	13000
योग			108	960750

## परिशिष्ट संख्या - 19

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.6)

### आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित ए.सी. बिलों के अप्राप्त बकाया डी.सी. बिलों का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	बिलों की संख्या	राशि ₹	पुराने बकाया डी.सी. बिल	राशि ₹
1	अजमेर	183	157945495	0	0
2	अलवर	14	16034562	0	0
3	बाड़मेर	9	13808597	0	0
4	बांसवाड़ा	4	3500000	2	53700
5	बीकानेर	30	276190693	1	30000
6	बून्दी	10	1648700	0	0
7	भरतपुर	12	17231424	0	0
8	भीलवाड़ा	2	942545	0	0
9	चित्तौड़गढ़	1	500000	0	0
10	चूरु	3	3800000	0	0
11	दौसा	2	2350000	0	0
12	धौलपुर	20	20789400	0	0
13	झुंजरपूर	2	1340000	0	0
14	श्रीगंगानगर	2	1811700	0	0
15	जयपुर (शहर)	38	138056403	0	0
16	जयपुर (सचिवालय)	124	161558305	0	0
17	जालौर	0	0	1	30000
18	जोधपुर (शहर)	11	56838898	0	0
19	जैसलमेर	1	400000	0	0
20	झुन्झुनू	15	13931000	0	0
21	करोली	2	1050000	0	0
22	कोटा	13	6816560	1	25920
23	नागौर	2	462500	0	0
24	प्रतापगढ़	10	6807000	0	0
25	पाली	9	15257538	0	0
26	राजसमंद	7	8800000	1	8500
27	सवाई माधोपुर	3	7438250	0	0
28	सीकर	2	3100000	0	0
29	सिरोही	5	3798900	0	0
30	उदयपुर (शहर)	27	130871155	0	0
	योग नये	563	1073079625	6	148120
	योग पुराने	6	148120		
	कुल योग	569	1073227745		

## परिशिष्ट संख्या-20

(संदर्भ पैरा संख्या -3.7.1)

### निजी निक्षेप खाताधारकों से अवशेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
1	अजमेर	1	उप निदेशक, कृषि (विस्तार), अजमेर	268
		2	प्रधानाचार्य राजकीय उच्च शिक्षा संस्थान, अजमेर	337
		3	अतिरिक्त निदेशक, उद्यान, अजमेर	343
		4	राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, अजमेर	344
		5	क्षेत्रीय संयुक्त श्रम आयुक्त, अजमेर	345
		6	डी. डब्ल्यू.डी.ए., अजमेर	346
		7	पुलिस अधीक्षक, अजमेर	396
		8	उप निदेशक, फिसरिज, अजमेर	397
		9	उपवन संरक्षक, अजमेर	398
		10	कामगार ख्यातीपु	404
		11	जे.एन.एल.हॉस्पिटल, अजमेर	405
		12	आई.टी.आई. केकड़ी	408
		13	उप निदेशक पोल्ट्री, अजमेर	410
		14	महिला आई.टी.आई., अजमेर	411
		15	राजस्थान एस.सी.डी.सी.ए.	412
		16	इन्जिनियरिंग कॉलेज, अजमेर	421
		17	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पीसांगन	433
		18	सहायक कमीश्नर, देवस्थान विभाग	446
		19	जिला आयुर्वेद अधिकारी	480
		20	राजकीय महिला इन्जिनियरिंग कॉलेज	4892
		21	अधीक्षक, आई.टी.आई. के.	5157
		22	उप निदेशक, डी.डब्ल्यू.डी.ए. (ICDS) अजमेर	5166
		23	होमगार्ड ट्रेनिंग	5176
		24	नियंत्रक सिविल	5177
		25	प्राचार्य, आई.टी.आई. अजमेर	5178
		26	संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, अजमेर	5625
		27	राजस्थान, हेल्थ	5636
		28	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर	5865
		29	प्रिंसिपल, राजकीय गर्ल्स कॉलेज, सरवाड़	5866
		30	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), अजमेर	6137
		31	चेयरमैन, भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर	6205
		32	चेयरमैन, जिला मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, अजमेर	6253
		33	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा), अजमेर	6337
		34	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	6628
2	अलवर	35	सहायक निदेशक, उद्यान विभाग, अलवर	10



क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		36	उप निदेशक, बाल विकास विभाग, अलवर	23
		37	आई.टी.आई., नीमराना	146
		38	राजकीय महाविद्यालय, बी.बी. रानी	5028
		39	आई.टी.आई., भिवाड़ी	5026
3	ब्यावर	40	जिला कलेक्टर	2965
4	बारां	41	जिला महिला विकास अभिकरण, बारां	538
		42	राजकीय महाविद्यालय, केलवाड़ा	540
		43	उपनिदेशक, बाल विकास अधिकरण	1246
		44	राजकीय महिला महाविद्यालय, बारां	1254
		45	जिला आयुर्वेद अधिकारी	480
		46	जेल कारागृह, बारां	533
		47	आई.टी.आई., केलवाड़ा	536
5	बांसवाड़ा	48	एच.डी.जे., राजकीय बालिका विद्यालय	4996
		49	उपनिदेशक, महिला सशक्तिकरण, बांसवाड़ा	4997
		50	गृह रक्षा प्रभारी	4998
		51	परियोजना अधिकारी, टी.ए.डी.	5222
		52	अधिशायी अभियंता, सिंचाई	5223
		53	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बांसवाड़ा	5226
		54	उप निदेशक, कृषि	5227
		55	अधिशायी अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. उदयपुर	5228
		56	चेयर मैन, एफ.एफ.डी.	5229
		57	अधीक्षक, आई.टी.आई.	5236
		58	सचिव, कृषि उपज मंडी	5237
		59	सहायक निदेशक, बागवानी विभाग, बांसवाड़ा	5238
		60	उप अधीक्षक, जिला जेल	5259
		61	प्रधानाचार्य, राजकीय इन्जिनियरिंग महाविद्यालय, बांसवाड़ा	5854
		62	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.	6110
		63	जिला खनिज संस्थान ट्रस्ट	6239
		64	बी.ई.ई.ओ. अर्थुना	6325
		65	जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, बांसवाड़ा	6407
		66	राजस्थान अ.जा. वित्त एवं विकास निगम, बांसवाड़ा	6616
6	बीकानेर	67	आई.टी.आई. महिला, बीकानेर	714
		68	विशेषाधिकारी, बीकानेर यूनिवर्सिटी	723
		69	परियोजना निदेशक, बीकानेर	3234
		70	जिला महिला विकास एजेन्सी, बीकानेर	3284
		71	कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता विभाग, बीकानेर	3303
		72	प्राचार्य राजकीय कॉलेज, लूणकरणसर	5828
		73	जिला मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी)	6220
7	बूंदी	74	राजकीय बालिका कॉलेज, बूंदी	5408
		75	जिला जेल, बूंदी	5477

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		76	जिला मिनेरल फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड, बूंदी	6247
		77	ए.डी.पी.सी.,(SSA), बूंदी	6413
8	भरतपुर	78	आई.टी.आई., बयाना	2244
		79	आई.टी.आई., कामां	2245
		80	सहायक निदेशक, बागवानी, भरतपुर	2246
		81	उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, भरतपुर	2249
		82	परियोजना निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, भरतपुर	2284
		83	गृह रक्षा, भरतपुर	2286
		84	जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट, भरतपुर	6226
		85	जिला परियोजना समन्वयक, एस.एस.ए., भरतपुर	6410
9	भीलवाड़ा	86	कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग,डी. डब्ल्यू. डी. ए., भीलवाड़ा	879
		87	औद्योगिक संस्थान, भीलवाड़ा	3196
		88	औद्योगिक संस्थान, गुलाबपुरा	3197
		89	औद्योगिक संस्थान, माण्डलगढ़	3198
		90	उप निदेशक (ICDS) महिला एवं बाल विकास विभाग, भीलवाड़ा	3200
		91	एफ.एफ.डी.ए.,भीलवाड़ा	3201
		92	सगन खाद्यान्न भंडार (उप निदेशक कृषि), भीलवाड़ा	3204
		93	अधीक्षक, जिला जेल,भीलवाड़ा	3206
		94	संगम यूनिवर्सिटी, भीलवाड़ा	4207
		95	राजकीय कॉलेज, आसिन्द	5868
10	चित्तौड़गढ़	96	उप निदेशक, महिला बाल विकास विभाग	1152
		97	राजकीय महाविद्यालय, रावतभाटा	6174
11	दौसा	98	जिला आयुर्वेद अधिकारी, दौसा	480
		99	डी.डब्ल्यू.डी.ए., दौसा	1771
		100	कमानडेंट गृह प्रशिक्षण केन्द्र, दौसा	2733
		101	परियोजना निदेशक डीआरडीए, दौसा	3016
		102	उपनिदेशक(आईसीडीएस), दौसा	3017
		103	राजस्थान एस.सी./एस.टी. फाउन्डेशन, दौसा	3018
		104	उपनिदेशक, कृषि विस्तार, दौसा	3019
		105	एनएसएपी, दौसा	3020
		106	राजकीय महाविद्यालय, लालसोट	3056
		107	आरसीएच सोसाईटी	3057
		108	जिला कारागृह, दौसा	3060
		109	उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, दौसा	3061
		110	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,लालसोट	3063
		111	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,सिकराय	3064

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		112	सहायक अभियंता (एग्री ) एस.सी. एण्ड डब्ल्यू.एस.डी., दौसा	3066
		113	सहायक अभियंता (एग्री ) डब्ल्यू. डी. एस.सी., बांदीकुई	3067
		114	आयुक्त एम्पलॉय कम्पेंशन एण्ड लेबर वेलफेयर ऑफिसर, दौसा	3089
		115	न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस)	5684
		116	प्रिंसिपल, राजकीय महाविद्यालय, सिकराय	5905
		117	डिस्ट्रिक्ट मिनेरल फॉउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड (DMFT)	6237
		118	जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान (SSA), दौसा	6416
12	डूंगरपुर	119	अधीक्षक, आईटीआई, सागवाड़ा	2490
		120	उपनिदेशक, आई.सी.डी.एस., डूंगरपुर	2492
		121	एफएफडीए, डूंगरपुर	2494
		122	प्राचार्य, वीर काली बाई महिला महाविद्यालय, डूंगरपुर	2512
		123	वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी कम बीईईओ, बिच्छीवाड़ा	2517
		124	परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास विभाग	2548
		125	होमगार्ड ट्रेनिंग	2549
		126	जिला खनिज फॉउन्डेशन फण्ड, डूंगरपुर	6244
		127	जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, डूंगरपुर	6418
		128	राजस्थान अनु सूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, डूंगरपुर	6617
13	धौलपुर	129	सचिव कृषि उपज मंडी समिति, धौलपुर	4938
		130	महिला एवं बाल विकास विभाग, धौलपुर	4940
		131	अधीक्षक जेल, धौलपुर	4948
		132	कर्मकार क्षति पूर्ति आयुक्त, धौलपुर	4982
		133	परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास एजेंसी, धौलपुर	4989
		134	आई.टी.आई., बाड़ी	4990
14	श्री गंगानगर	135	आई.टी.आई., करनपुर	1283
		136	कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग, श्री गंगानगर	1295
		137	सिविल डिफेंस, सूरतगढ़	1296
		138	भूमि आवाप्ति अधिकारी, श्री करनपुर	1308
		139	कमान्डेंट बॉर्डर होमगार्ड, श्री गंगानगर	1859
		140	महिला विकास अधिकरण, श्री गंगानगर	1880
		141	भूमि आवाप्ति अधिकारी, श्री गंगानगर	2021
		142	भूमि आवाप्ति अधिकारी, सूरतगढ़	2022
		143	जिला जेल, श्री गंगानगर	2023
		144	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सूरतगढ़	2034
		145	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पदमपुर	2035
		146	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सादुलशहर	2039
		147	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, श्री करनपुर	2040
		148	टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर	5755
		149	राजकीय महाविद्यालय, अनूपगढ़	5967

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		150	डिस्ट्रिक्ट मिनेरल फॉउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड, श्री गंगानगर	6261
		151	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, श्री गंगानगर	6352
		152	राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, श्री गंगानगर	6610
15	हनुमानगढ़	153	डी.डब्ल्यू.डी.ए., हनुमानगढ़	2467
		154	श्रम कल्याण अधिकारी कर्मकार क्षति पूर्ति निगम , हनुमानगढ़	3092
		155	उप अधीक्षक, जिला कारागृह, हनुमानगढ़	3123
		156	भूमि अधिगृहण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर एचएमएच	3133
16	जयपुर (शहर)	157	क्षेत्रीय स्वयं सहायता समूह	1275
		158	एन.बी.डी. बाल मंदिर	3472
		159	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर	3474
		160	महाराजा संस्कृत विद्यालय	3475
		161	एस.एम.एस. मेडिकल महाविद्यालय	3476
		162	राजस्थान संगीत	3477
		163	राजस्थान राज्य होटल	3479
		164	राजस्थान पुलिस बेन्वेलेन्ट फण्ड	3482
		165	राजस्थान पुलिस कल्याण निधि	3483
		166	अधीक्षक, आई.टी.आई., जयपुर	3485
		167	नर्सिंग महाविद्यालय	3487
		168	राजस्थान प्रदूषण निवारण व नियंत्रण मण्डल	3488
		169	चिकित्सा एवं पुनर्वास	3489
		170	वर्क मेन्स कम्प एक्ट	3490
		171	वर्क मेन्स कम्प एफ	3491
		172	ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला)	3493
		173	एल.आई.सी. ऑफ इण्डिया	3494
		174	ट्रेजरी मिन्ट सी	3495
		175	केन्द्रीय मुद्रणालय कर्मचारी सहकारी समिति	3496
		176	भू-प्रबंध कर्मचारी बचत एवं साख सहकारी समिति	3497
		177	उपनिदेशक बालविकास	3500
		178	राजकीय दन्त महाविद्यालय	3542
		179	आई.टी.आई. जेल, जयपुर	3544
		180	निदेशक, आर्कियोलोजिकल एवं म्यूजियम	3633
		181	सिसोदिया विद्याधर का बाग विकास समिति	3656
		182	राज. रा. संग्रहालय एवं विकास संस्था	3657
		183	रिकवरी ऑफ कॉन	3658
		184	रिकवरी ऑफ कॉन	3659
		185	राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी	3672
		186	डिप्लोमा फार्मसी कोर्स	3673
		187	राज्य जल और	3679

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		188	जिला महिला विकास अभिकरण	3698
		189	राजकौशल स्कूल ऑफ एनिमेशन	3706
		190	महिला शिक्षा समिति जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी	3723
		191	महात्मा ज्योति राव	3726
		192	रितनन्द बलदेव एज्युकेशन ट्रस्ट	3730
		193	डा. एम.पी. खूटेडा	3731
		194	प्रताप यूनिवर्सिटी, जयपुर	4197
		195	देव यूनिवर्सिटी	4201
		196	क्षेत्रीय तकनीकी	5517
		197	आई.सी.एफ.ए.आई.	5628
		198	महात्मा गांधी	5637
		199	वी.आई.टी. यूनिवर्सिटी	5638
		200	राज. भू-अभिलेख आधुनिकीकरण सोसाईटी	5718
		201	डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्व विद्यालय	5776
		202	जे.ई.सी.आर.सी. यूनिवर्सिटी, जयपुर	5782
		203	एन्टी करप्शन ब्यूरो, जयपुर	5888
		204	महिला बन्दी सुधार गृह	6074
		205	राजस्थान उर्जा विकास निगम लिमिटेड	6095
		206	सी.डी.पी.एस.एम. फॉर सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट	6192
		207	अपेक्स विश्व विद्यालय, जयपुर	6379
		208	डी.एम.एफ.टी., जयपुर शहर	6399
		209	राजस्थान अनु सूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, जयपुर	6604
17	जयपुर(ग्रामीण)	210	इन्सिट्यूट ऑफ इन्जिनियरिंग मेन, चौमू	2075
		211	निमट यूनिवर्सिटी, कोटपूतली	4205
		212	इक लक्ष्मी यूनिवर्सिटी, जयपुर	4211
		213	प्रिंसिपल, राजकीय महिला महाविद्यालय, चौमू	4889
		214	अधीक्षक, आई.टी.आई., फागी	4923
		215	अधीक्षक, आई.टी.आई., सांगानेर	4928
		216	महर्षि अरविन्द, जयपुर	5813
		217	जिला मिनरल फॉउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड (DMFT), जयपुर	6248
		218	राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कॉन्सिल, जयपुर	6316
		219	अधीक्षक, आई.टी.आई., सांभरलेक	4916
18	जयपुर (सचिवालय)	220	साहसी एवं प्रबंध विकास संस्थान	3762
		221	राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद	3775
		222	मुख्य कार्यकारी, राजस्थान स्टेट कॉर्पोरेटिव संघ	3783
		223	तिलम संघ	3784
		224	वीजा वृद्धि एवं रिलेटेड फीस	3790
		225	राजस्थान हाउसिंग बोर्ड	3796
		226	राजस्थान बुनकर सहकारी संघ लि.	3799
		227	उप निदेशक, कृषि (विस्तार)	3800

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		228	राजस्थान फाईनेंस कोर्पोरेशन (आर.एफ.सी.)	3826
		229	राजस्थान कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन	3831
		230	राजस्थान विद्युत नियामक आयोग	3924
		231	निदेशक पेट्रोलियम विभाग, जयपुर	3937
		232	खेतान पॉलोटेक्निक कॉलेज , जयपुर	3970
		233	सहायक निदेशक,(GIA), कॉलेज शिक्षा, जयपुर	3974
		234	राजस्थान राज्य भण्डारण निगम लि.	3975
		235	निदेशक, सूचना तकनिकी कोम्युनिकेशन विभाग, जयपुर	3976
		236	परियोजना निदेशक, कोर	3981
		237	राजस्थान रोड इन्फ्रा डवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड (रिडकोर),	3987
		238	महाराज विनायक	5576
		239	राजस्थान आवास विकास संस्थान	5629
		240	संभागीय संस्थान	5640
		241	राजस्थान हॉर्टिकल्चर	5641
		242	पूर्णिमा यूनिवर्सिटी	5693
		243	स्टेट प्रोजेक्ट फेसिलिटेशन युनिट	5706
		244	राजस्थान वक्फ	5742
		245	ओपीजेएस यूनिवर	5750
		246	राजस्थान स्टेट पावर फाईनेंस एण्ड फाईनेंशियल सर्विसेज कोर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर	5756
		247	राजस्थान इन्सिड्यूट ऑफ एग्रो प्रोसेसिव केन्द्र, भरतपुर	5762
		248	राजस्थान पेरा मेडिकल कांसिल	5816
		249	बाल कल्याण कोष	5926
		250	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान	5957
		251	राजस्थान राज्य निगम उपभोक्ता फेडरेशन लि., जयपुर	6063
		252	सिविल डिफेंस विभाग	6078
		253	राज्य इनोवेशन कांसिल	6092
19	जैसलमेर	254	कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग, जैसलमेर	4422
		255	उपनिदेशक पशुपालन, जैसलमेर	4425
		256	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर	4426
		257	अधिशाषी अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. खण्ड-1, जैसलमेर	4461
		258	अधिशाषी अभियंता, सिचाई खण्ड, जैसलमेर	4483
		259	नियंत्रक(कलेक्टर) एवं उप नियंत्रक, सिविल डिफेंस, जैसलमेर	4489
		260	जिला मिनरल फॉउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड,जैसलमेर	6217
		261	जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, जैसलमेर	6421
20	जोधपुर (शहर)	262	प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद नर्स प्रशिक्षण केन्द्र, पुंजला	2093
		263	परियोजना अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग, जोधपुर	2744
		264	जोधपुर निजी विश्वविद्यालय, जोधपुर	2750
		265	अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, जोधपुर	4023
		266	अधीक्षक, एसोसियेटेड ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जोधपुर	4040

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		267	उपवन संरक्षक, वन्य जीव , जोधपुर	4071
		268	परियोजना अधिकारी, कृषि (विस्तार) , जोधपुर	4095
		269	परियोजना निदेशक, बाल विकास परियोजना, जोधपुर	4104
		270	उप पंजियक, सहकारी समिति, जोधपुर	4124
		271	अधीक्षक, जेल बन्दी कल्याण, जोधपुर	4132
		272	अधिशाषी अभियंता, पी.एच.ई.डी. डिविजन-II, जोधपुर	4144
		273	राज. जेल बैण्ड, जोधपुर	4161
		274	कार्यक्रम निदेशक, स्वयं सहायता समूह, आर.ई.एफ. जोधपुर	4951
		275	खण्डीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी , जोधपुर	5642
		276	परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान (SSA), जोधपुर	6425
21	जोधपुर (ग्रामीण)	277	अधीक्षक, आई.टी.आई., पीपाड़ शहर	4555
		278	प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पीपाड़ शहर	4574
		279	प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ़	4581
		280	पंजियक, सारदा	5749
		281	प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय,बिलाड़ा	5859
		282	प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय,बालेसर	5870
		283	डी.एम. एफ.टी., जोधपुर	6227
22	झालावाड़	284	सहायक निदेशक, बागवानी	4610
		285	उप निदेशक, एक्सटेंसन, झालावाड़	4670
		286	परियोजना निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झालावाड़	4671
		287	राजकीय महिला महाविद्यालय, झालावाड़	4681
		288	मछली विकास अधिकरण, झालावाड़	4683
		289	जिला जेल, झालावाड़	4685
		290	आई.टी.आई.,झालावाड़	4689
		291	अधीक्षक आई.टी.आई., खानपुर	4707
		292	प्रचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय, झालावाड़	4709
		293	प्राचार्य, राजकीय तकनीकी महाविद्यालय, झालावाड़	4714
23	करौली	294	आई.टी.आई., करौली	4355
		295	देवस्थान विभाग, करौली	4356
		296	जिला जेल, करौली	4387
		297	कमांडेन्ट एस.पी. एण्ड डी., करौली	4404
		298	परियोजना प्राच	5731
24	कोटा	299	उप निदेश, बाल विकास	2323
		300	मतस्य विकास	2324
		301	प्रिंसिपल विधि महाविद्यालय	2442
		302	अधीक्षक, आई.टी.आई.	2443
		303	रजि. एस. ए. ट्रेनिंग	4192
		304	सिविल डिफेंस आर	4411
25	नागौर	305	डी.डी.आई. सी.डी.एस., नागौर	2555
		306	राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम, नागौर	2577

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		307	प्रिंसिपल, राजकीय कॉलेज, मेड़ता सिटी	2578
		308	प्राचार्य राजकीय गर्ल्स कॉलेज, नागौर	2579
		309	अधिशाषी अभियंता, पी.एच.ई.डी. मेड़ता सिटी	2597
		310	बी.ई.ई.ओ., मेड़ता सिटी	2660
		311	अधीक्षक, जेल	2670
		312	परियोजना अधिकारी डी.डब्ल्यू.डी.ए., नागौर	2728
		313	होम गार्ड ट्रान	2729
		314	जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर	5597
		315	प्रिंसिपल राजकीय कॉलेज, जायल	5820
		316	प्राचार्य राजकीय कॉलेज, डेगाना	6042
		317	डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड	6240
		318	बी.ई.ई.ओ., खीवसर	6305
		319	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा, नागौर	6362
26	प्रतापगढ़	320	प्राचार्य राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़	3418
		321	अधीक्षक आई.टी.आई., प्रतापगढ़	3419
		322	उप वन संरक्षक	3420
		323	उप परियोजना अधिकारी टी.ए.डी., प्रतापगढ़	3421
		324	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़	3444
		325	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पीपलखूंट	3448
		326	डी.डब्ल्यू.डी.ए. महिला, प्रतापगढ़	3470
		327	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, धरियावद	5879
		328	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), प्रतापगढ़	6115
		329	जिला मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड	6238
		330	प्रिंसिपल, राजकीय महाविद्यालय, छोटी सादड़ी	6284
		331	जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान (SSA), प्रतापगढ़	6430
		332	राजस्थान अनु सूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, प्रतापगढ़	6614
27	राजसमंद	333	प्रिंसिपल, राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय, राजसमंद	5431
		334	लेबर केम्पस, लेबर वेलफेयर, राजसमंद	5564
		335	जिला कारागृह "बी" केटेगिरी, राजसमंद	5569
		336	जिला आयुर्वेद अधिकारी, राजसमंद	5596
		337	राजकीय महाविद्यालय, देवगढ़, राजसमंद	5979
		338	जिला मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट, राजसमंद	6234
28	सवाई माधोपुर	339	उपनिदेशक कृषि, सवाईमाधोपुर	1634
		340	एफ.एफ.डी.ए. सवाई माधोपुर	1636
		341	उपअधीक्षक, जिला कारागृह, गंगापुर सिटी	1716
29	सीकर	342	कृषि उपज मंडी समिति, फतेहपुर	1312
		343	कृषि उपज मंडी समिति, श्री माधोपुर	1313
		344	कृषि उपज मंडी समिति, नीम का थाना	1314
		345	जिला महिला विकास एजेंसी, सीकर	1486
		346	पुलिस वेलफेयर फण्ड, सीकर	1489



क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		347	जिला जेल, सीकर	1490
		348	अधीक्षक,आई.टी.आई., सीकर	1492
		349	परियोजना निदेशक, डी.डब्ल्यू.डी.ए., सीकर	1575
		350	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, सीकर	1576
		351	जिला आयुर्वेद अधिकारी, सीकर	5600
		352	प्रचार्य, राजकीय तकनीकी महाविद्यालय, जोधपुर	5698
		353	नगर विकास न्यास, सीकर	5832
		354	राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर	5881
		355	राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, सीकर	6032
		356	राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर	6033
		357	जिला मिन्टरल फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड, सीकर	6249
		358	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय, सीकर	6439
30	टोंक	359	उप वन संरक्षक, टोंक	4226
		360	उपनिदेशक, आई.सी.डी.एस., टोंक	4230
		361	अध्यक्ष, एफ.एफ. डी.ए. टोंक	4231
		362	अधीक्षक, आई.टी.आई., टोंक	4234
		363	राजकीय महाविद्यालय, टोंक	4253
		364	राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक	4254
		365	जिला कलेक्टर अल्प बचत, टोंक	4283
		366	उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, टोंक	4335
		367	जिला मिन्टरल फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड, टोंक	6246
		368	अतिरिक्त जिला कलेक्टर (रियबिलेशन) तथा भूमि आवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर प्रोजेक्ट, देवली	6622
31	उदयपुर	369	प्रिंसिपल आई.टी.आई., उदयपुर	990
		370	उपवन संरक्षक, वन विभाग (एस), उदयपुर	999
		371	अधीक्षक, महिला ओद्योगिक संस्थान, उदयपुर	1006
		372	मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	1032
		373	उप निदेशक, आई.सी.डी.एस.	1060
		374	अधीक्षक, डी.डी.आर.सी.टी.ई.डी., उदयपुर	1077
		375	क्षेत्रीय सेल्फ हेल्प ग्रुप टी.आर.जी. एण्ड आर.ई.एफ., सी.टी.आर. उदयपुर	1087
		376	गीतांजली विश्वविद्यालय, उदयपुर	1088
		377	संभागीय संस्कृत अधिकारी, उदयपुर	5626
		378	भूपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी, उदयपुर	5655
32	उदयपुर(ग्रामीण)	379	अधिक्षापी अभियंता, सिंचाई खण्ड, सलूमबर	989
		380	अधीक्षक, आई.टी.आई. कोटड़ा	1063
33	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	381	एच.जे.एच.जे.	5250
		382	बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति	6236

## परिशिष्ट संख्या- 21

(संदर्भ पैरा संख्या -3.7.3)

### महालेखाकार व कोषालय की पुस्तकों के मध्य निजी निक्षेप खातों के शेष में अंतर का विवरण

क्र. सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹	कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹	(+)धनात्मक अंतर राशि ₹	(-) ऋणात्मक अंतर राशि ₹
1	अजमेर	383	अधीक्षक केन्द्रीय कारागार	6059612.81	6042913.81	16699.00	0
		384	अधीक्षक केन्द्रीय कारागार (पी.डब्ल्यू.एफ.)	653416.50	663102.50	0	9686.00
		398	डिविजनल फोरेस्ट ऑफिसर	31342284.75	31836220.75	0	493936.00
		446	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग	336456.00	344772.00	0	8316.00
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	22026308.00	22030092.00	0	3784.00
		473	भवन निर्माण ऋणों का पुनर्भुगतान	2940968.00	3005968.00	0	65000.00
2	अलवर	5032	चेयरमेन पंच निर्या शुल्क	34168.00	29168.00	5000.00	0
3	बांसवाड़ा	473	एच.बी.ए. लोन (पुराना)	22949884.20	22811311.20	138573.00	0
4	बारां	1254	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय	4323292.00	4322628.00	664.00	0
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	16476309.33	16466408.33	9901.00	0
5	बाड़मेर	3340	वरिष्ठ डी.ई.ओ. कम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	77175483.00	83121803.00	0	5946320.00
		473	एच.बी.ए. लोन	2273677.00	2347809.00	0	74132.00
6	भरतपुर	2221	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, वैर	100234734.37	113209768.37	0	12975034.00
		2243	उप मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव	-20447.01	46761.99	0	67209.00
		473	एच.बी.ए. लोन (पुराना)	6514295.06	6483714.06	30581.00	0
7	भीलवाड़ा	473	एच.बी.ए. लोन (पुराना)	19799355.18	19775265.18	24090.00	0
		475	एच.बी.ए. एच.डी.एफ.सी	1292342.00	1289695.00	2647.00	0
		710	अधीक्षक पुलिस गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	1709334.00	1680636.00	28698.00	0
8	बीकानेर	3234	परियोजना निदेशक	68463.00	68097.00	366.00	0
		3297	प्रिंसिपल राजकीय लॉ कॉलेज	2335290.00	1955290.00	380000.00	0
		3302	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	3196617.00	2922201.00	274416.00	0
		473	एच.बी.ए. लोन (पुराना)	16992981.00	16960324.00	32657.00	0
		5828	प्रिंसिपल राजकीय कॉलेज, लूणकरणसर	1124547.60	1338520.60	0	213973.00
		762	अति. जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बीकानेर	290263073.82	290271573.82	0	8500.00
		764	वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी, कम ब्लॉक अधिकारी प्रारम्भिक श्रीदूंगरगढ	66887703.81	66913773.81	0	26070.00
		766	वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी, श्रीदूंगरगढ	94382606.00	94401848.00	0	19242.00
9	बूंदी	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	11667828.66	11646288.66	21540.00	0

क्र. सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹	कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹	(+)धनात्मक अंतर राशि ₹	(-) ऋणात्मक अंतर राशि ₹
10	चुरू	2855	प्रिंसिपल राजकीय गर्ल्स कॉलेज, रतनगढ़	5388131.00	5376077.00	12054.00	0
		2866	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	372750.00	371250.00	1500.00	0
		2870	डिप्टी कन्जर्वेटर फोरेस्ट (डीएफओ)	39575.00	5058.00	34517.00	0
		2918	वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रतनगढ़	64341819.00	64354017.00	0	12198.00
		2919	वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सरदारशहर	44683321.24	44638881.24	44440.00	0
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	10617861.00	10629743.00	0	11882.00
		473	एच.बी.ए. लोन (पुराना)	11610902.30	11608238.30	2664.00	0
11	दौसा	3019	उपनिदेशक कृषि विस्तार	47805.00	73800.00	0	25995.00
		3063	वरिष्ठ डिप्टी डी.ई.ओ. कम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लालसोट	37809028.87	37812628.87	0	3600.00
		473	एच.बी.ए. लोन (पुराना)	12800030.00	12377047.00	422983.00	0
		5914	राजकीयबालिका महाविद्यालय, लालसोट	450423.00	448623.00	1800.00	0
12	धौलपुर	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	4647895.98	4645953.98	1942.00	0
		473	एच.बी.ए. लोन (पुराना)	20166779.62	20159851.62	6928.00	0
		5847	राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी	102021.00	109871.00	0	7850.00
13	डूंगरपुर	2493	डिप्टी कन्जर्वेटर फोरेस्ट (डीएफओ),डूंगरपुर	12602036.57	12552036.57	50000.00	0
		473	एच.बी.ए. लोन (पुराना)	26604987.07	26604321.07	666.00	0
		479	न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस)	270007539.00	270023271.00	0	15732.00
14	श्रीगंगानगर	2023	अधीक्षक जिला जेल	3491751.00	3474541.00	17210.00	0
		2033	कमांडेन्ट होम गार्ड वेलफेयर फण्ड	7109484.00	6944024.00	165460.00	0
		2037	अतिरिक्त उप जिला शिक्षा अधिकारी कम बी.ई.ई.ओ.	30875383.00	31235383.00	0	360000
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	24284585.00	24266611.00	17974.00	0
		473	एच.बी.ए. लोन (पुराना)	5307245.00	5112705.00	194540.00	0
		475	एच.बी.ए. एच.डी.एफ.सी.	93911.00	93711.00	200.00	0
		5967	राजकीय कॉलेज, अनूपगढ़	1268059.00	1290729.00	0	22670.00
15	जयपुर (शहर)	3484	चैयरमेन, कैदी कल्याण फण्ड सेण्ट्रल जेल	15008626.64	14590224.64	418402.00	0
		3490	कॉमर्शियल वर्कमेन्स कम्पन्सेशन एक्ट	29639952.31	29098172.31	541780.00	0
		3634	हाउसिंग लोन का पुनर्भुगतान 31.03.2004 तक	0.00	1028830.00	0	1028830.00
		3637	एचबीए लोन एचडीएफसी का पुनर्भुगतान	0.00	(-)5135725.00	5135725.00	0
		3638	एचबीए लोन एसबीबीजे का पुनर्भुगतान	0.00	(-)269005.00	269005.00	0
		3680	सहायक आयुक्त देवास्थान विभाग	79467.00	60859.00	18608	0

क्र. सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹	कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹	(+)धनात्मक अंतर राशि ₹	(-) ऋणात्मक अंतर राशि ₹
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	48945415.18	47866255.00	1079160.18	0
		473	एच.बी.ए. लोन (पुराना)	6227059.00	5850238.00	376821.00	0
		474	एचबीए लोन एसबीबीजे	83923.00	34972.00	48951.00	0
		475	एच.बी.ए. एच.डी.एफ.सी.	2294570.00	883209.00	1411361.00	0
		543	आयुक्त देवास्थान विभाग	139365.64	135075.64	4290.00	0
		6123	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर	360177252.00	360159444.00	17808.00	0
16	जयपुर (ग्रामीण)	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	16464675.54	16471553.54	0	6878.00
		5807	कृषि उपज मण्डी	11329.00	1298157.00	0	1286828.00
17	जयपुर (सचिवालय)	3792	निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, निदेशक अरबन पावरटी इरेडिकेशन प्रोग्राम	623811785.00	623806455.00	5330.00	0
		479	न्यू पेंशन स्कीम	4284069.00	4189270.00	94799.00	0
		5294	राजस्थान स्टेट बायोडी बोर्ड	6021481.00	5861975.00	159506.00	0
		5295	सचिव / उप सचिव, राजस्थान मानवाधिकार, आयोग	5810512.00	5905311.00	0	94799.00
		6096	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान	282053.00	48721.00	233332.00	0
18	झालावाड़	4647	अति. जिला शिक्षा अधिकारी कम बी.ई.ई.ओ. झालरापाटन	20548338.00	20543520.00	4818.00	0
		475	एच.बी.ए. एच.डी.एफ.सी.	173084.00	143084.00	30000.00	0
19	जोधपुर (शहर)	4023	अधिशाषी अभियंता, इरीगेसन डिविजन, जलसंसाधन	1295978.00	1295305.00	673.00	0
		4040	अधीक्षक एसोसिएट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एमजीएच	261284.05	228834.05	32450.00	0
		4144	अधिशाषी अभियंता, पीएचईडी, जिला खण्ड-11	726.00	2336584.00	0	2335858.00
		5850	प्रिंसिप, कृषि विश्व विद्यालय, यूएनएल	529444283.00	529441003.00	3280.00	0
20	जोधपुर (ग्रामीण)	4529	सीनियर डिप्टी डीईओ, शेरगढ़	56720100.83	56166852.83	553248.00	0
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	12384203.00	12376423.00	7780.00	0
21	झुन्झुन्	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	14196571.00	14195979.00	592.00	0
		474	एचबीए एसबीबीजे	34765.00	35357.00	0	592
22	करौली	4373	एडीशनल डीईओ कम बीईईओ	34422769.87	34422768.87	1.00	0
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	2418734.00	2420896.00	0	2162.00
		473	एच.बी.ए. लोन (पुराना)	19302806.00	19300644.00	2162.00	0
23	कोटा	2317	सहायक आयुक्त, देवास्थान विभाग	306899.00	296267.00	10632.00	0
		2328	उप वन संरक्षक, वन्य जीव	11026862.10	10974456.70	52405.40	0
		2331	प्राचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज	41473723.00	41473626.00	97.00	0
		474	एच.बी.ए. एस.बी.बी.जे.	3644.00	3507.00	137.00	0
24	नागौर	2579	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय	858747.00	933747.00	0	75000.00

क्र. सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹	कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹	(+)धनात्मक अंतर राशि ₹	(-) ऋणात्मक अन्तर राशि ₹
		2598	अधिशाषी अभियंता पी.एच.ई.डी., डीडवाना	8322057.00	8770579.00	0	448522.00
		475	एच.बी.ए. एच.डी.एफ.सी.	347934.00	349322.00	0	1388.00
25	राजसमंद	4202	उपवन संरक्षक	125680.00	136140.00	0	10460.00
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	15344053.00	14452517.00	891536.00	0
		475	एच.बी.ए. एच.डी.एफ.सी.	4620329.00	4603604.00	16725.00	0
		5561	वरिष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी कम बीईईओ, आमेट	54622307.13	54632397.13	0	10090.00
26	सवाईमाधोपुर	1637	उपनिदेशक टाईगर परियोजना	1430827.00	1528294.00	0	97467.00
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	6810790.00	6863890.00	0	53100
		474	एच.बी.ए. एस.बी.बी.जे.	11626461.32	11630504.32	0	4043.00
27	सीकर	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	15903806.00	15897019.00	6787.00	0
		473	एच.बी.ए. लोन (पुराना)	4964934.00	4962520.00	2414.00	0
		475	एच.बी.ए. एच.डी.एफ.सी.	844323.00	807907.00	36416.00	0
		5698	प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय	14437058.46	14563558.46	0	126500.00
28	सिरोही	4804	प्रबंध निदेशक, माधव नगर सहकारी बैंक लिमिटेड	3004060.00	2985460.00	18600.00	0
29	टोंक	4226	जिला वन अधिकारी	5870583.22	5435411.22	435172.00	0
30	उदयपुर(ग्रामीण)	989	अधिशाषी अभियंता सिंचाई खण्ड, सलूम्बर	5198017.00	5201771.00	0	3754.00
		1061	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, खैरवाड़ा	24624114.60	24711174.60	0	87060.00
	योग	105		3440016296	3452199242	13861513.58	26044460
			शुद्ध अन्तर		12182946.42		12182946.42

## परिशिष्ट संख्या- 22

(संदर्भ पैरा संख्या -3.7.4)

### निजी निक्षेप खातों व संस्था की पासबुक के आंकड़ों के मध्य अन्तर का विवरण

क्र. सं.	कोषालय	खाता संख्या	संस्था का नाम	कोषालय के आंकड़े राशि ₹	संस्था के आंकड़े राशि ₹	धनात्मक अंतर राशि ₹	ऋणात्मक अंतर राशि ₹
1	अजमेर	383	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, अजमेर	5766090.81	5782789.80	0	16698.99
		384	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल,(PWF) अजमेर	682746.50	699445.50	0	16699
		398	उप वन संरक्षक, अजमेर	7769810.75	7760698.75	9112	0
2	बीकानेर	764	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, श्री कोलायत	129296673.81	129298057.81	0	1384
		3281	स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय, बीकानेर	20977914.00	20972896.00	5018	0
		3302	कमांडेन्ट गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर	979635.00	1036084.00	0	56449
		3282	उप वन संरक्षक, बीकानेर	8101583.00	7893274.00	208309	0
3	चुरू	2856	राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चुरू	15467850.00	17281152.00	0	1813302
4	धौलपुर	4969	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकार,बाडी	32193689.87	32180543.87	13146	0
		4968	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, धौलपुर	61651755.42	61611009.42	40746	0
		4931	कमान्डेन्ट, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, धौलपुर	1022339.00	1011617.00	10722	0
5	जैसलमेर	4427	कमान्डेन्ट राजस्थान होमगार्ड एण्ड सिविल डिफेंस वेलफेयर फण्ड, जैसलमेर	1796156.00	1803500.00	0	7344
		4436	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम बी.ई.ई.ओ., सांकड़ा	94093982.00	105966133.00	0	11872151
		4488	कमान्डेन्ट गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जैसलमेर	569055.00	564242.00	4813	0
		4490	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, पोकरण	832951.20	808951.20	24000	0
6	झालावाड़	4710	प्राचार्य, राजकीय पॉलोटेक्निक, कॉलेज, झालावाड़	3357147.00	3392785.00	0	35638
		4647	बीईईओ, झालरापाटन	26274343.00	26311365.00	0	37022
		4684	डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर	20530678.39	20628884.39	0	98206
7	कोटा	2331	प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक चिकित्सा समूह, कोटा	32065760.00	31747172.00	318588	0
8	प्रतापगढ़	3446	बीईईओ, छोटी सादड़ी	114421274.00	89527124.00	24894150	0
		3447	बीईईओ, धरियावद	121942583.00	90915957.26	31026625.74	0
9	उदयपुर (ग्रामीण)	1061	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, खेरवाड़ा	18843893.60	18756833.60	87060	0
योग		22		718637911.35	675950515.6	56642289.74	13954893.99
शुद्ध अन्तर						42687395.75	42687395.75

## परिशिष्ट संख्या - 23

(संदर्भ पैरा संख्या -3.10.1)

### निजी निक्षेप खाता सं. 473 जमा राशि का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	दिनांक	राशि ₹
1	अजमेर	31.03.18	2985342.00
2	अलवर	30.06.18	10391735.00
3	बाड़मेर	31.01.19	2343240.00
4	बांसवाड़ा	31.03.18	22260486.20
5	बारां	31.10.18	6932796.00
6	बीकानेर	31.07.18	16987419.00
7	बूंदी	31.03.18	5798994.00
8	भरतपुर	31.10.18	6288147.06
9	भीलवाड़ा	30.06.18	17359239.18
10	चित्तौड़गढ़	31.12.18	28833251.00
11	चुरू	31.03.18	11170108.30
12	दौसा	31.05.18	11646723.00
13	झुंजरपुर	31.05.18	25265323.07
14	धौलपुर	30.11.18	19838737.62
15	श्री गंगानगर	31.03.18	5027235.00
16	हनुमानगढ़	30.09.18	9744879.00
17	जयपुर (शहर)	31.05.18	5350700.00
18	जयपुर(ग्रामीण)	31.05.18	8730375.00
19	जयपुर (सचिवालय)	31.03.18	8327227.00
20	जयपुर(पेंशन)	31.05.18	2854605.00
21	जालौर	31.12.18	1171987.00
22	जैसलमेर	30.09.18	7758920.00
23	जोधपुर (शहर)	31.09.18	4935991.00
24	जोधपुर (ग्रामीण)	31.12.18	2204435.00
25	झालावाड़	30.09.18	11353587.57
26	झुन्झुनू	31.01.19	13365042.00
27	करौली	30.09.18	19357632.00
28	कोटा	31.01.19	3944473.92
29	नागौर	31.07.18	2714424.78
30	प्रतापगढ़	31.01.19	5328262.00
31	पाली	31.12.18	22004418.00
32	राजसमंद	30.06.18	931394.00
33	सवाई माधोपुर	31.08.18	3145651.00
34	सिरोही	31.03.18	5265521.00
35	सीकर	31.03.18	4275135.00
36	टोंक	31.10.18	16561596.00
37	उदयपुर	30.11.18	16324808.00
38	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	30.11.18	240870.00
<b>योग</b>			<b>369020710.70</b>

## परिशिष्ट संख्या - 24

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.11.6)

### रोकड़िया से प्रतिभूति बंधपत्र प्राप्त नहीं करने वाले कोषालयों/उप कोषालयों का विवरण

क्र.सं.	कोषालय	प्रतिभूति बन्ध पत्र प्राप्त नहीं करने वाले कोषालयों/उप कोषालयों का नाम
1	अजमेर	पुष्कर, सरवाड़, भिनाय
2	बाड़मेर	गुढा मालानी, बायतु
3	बारां	अन्ता
4	बीकानेर	कोलायत
5	बूंदी	बूंदी
6	भरतपुर	वैर, डीग, नगर, पहाड़ी
7	चित्तौड़गढ़	बेगू, राशमी
8	चुरू	सुजानगढ़, बीदासर
9	डूंगरपुर	सागवाड़ा
10	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़
11	जयपुर ग्रामीण	सांभरलेक
12	झालावाड़	गंगधर, पिड़ावा
13	करौली	नादौती
14	कोटा	कोटा
15	नागौर	जायल
16	प्रतापगढ़	धरियावद
17	पाली	देसूरी, रानी
18	राजसमंद	नाथद्वारा
19	सीकर	दांतारामगढ़, फतेहपुर
20	टोंक	निवाई, देवली
21	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली
22	उदयपुर (ग्रामीण)	गोगुन्दा, वल्लभनगर, मावली



## परिशिष्ट संख्या - 25

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.11.7)

### रोकड़बही का संधारण नहीं करने वाले कोषालयों / उप कोषालयों का विवरण

क्र.सं.	कोषालय	रोकड़बही का संधारण नहीं करने वाले कोषालयों/उप कोषालयों का नाम
1	अजमेर	रूपनगढ़, भिनाय
2	बाड़मेर	बायतु, शिव, बाड़मेर
3	बांसवाड़ा	घाटोल, कुशलगढ़, बागीदौरा, गढ़ी परतापुर, बांसवाड़ा
4	बीकानेर	कोलायत, नोखा
5	भरतपुर	पहाड़ी, नदबई
6	भीलवाड़ा	कोटड़ी, सहाड़ा, बनेड़ा, रायपुर, बिजौलिया
7	चित्तौड़गढ़	गंगरार, बेगू
8	चूरू	सुजानगढ़, बीदासर
9	डूंगरपुर	सागवाड़ा, डूंगरपुर
10	श्री गंगानगर	सूरतगढ़
11	जयपुर (शहर)	जयपुर (शहर)
12	जोधपुर (शहर)	जोधपुर (शहर)
13	जोधपुर (ग्रामीण)	फलौदी, औंसियां, बालेसर, बावड़ी, लूणी
14	झालावाड़	गंगधार, पिड़ावा
15	करौली	मासलपुर
16	कोटा	कोटा
17	नागौर	नावां, मूंडवा, कुचामन सिटी,
18	पाली	देसूरी
19	राजसमंद	नाथद्वारा, भीम, राजसमंद
20	सिरोही	सिरोही
21	सीकर	फतेहपुर
22	उदयपुर (ग्रामीण)	सराड़ा, खैरवाड़ा, सलूमबर, गोगुन्दा, वल्लभनगर, मावली, उदयपुर (ग्रामीण)

---

© कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर

---

Website : [agaerajasthan@cag.gov.in](mailto:agaerajasthan@cag.gov.in)

---